Shri THE DEPUTY CHAIRMAN: Suresh Kalmadi. Not there. Shri V. Gopalsamy. Not there. Shri Satya Prakash Malaviya.

(AMEND-CONSTITUTION THE MENT) BILL, 1985 [To amend article 3241.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill futher to amend the Constitution India.

The question wss put and the motion was adopted.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-YA: Madam, I introduce the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Gopalsamy. Not there. Now, we take up the Legislative Councils (Composition) Bill, 1981. Mr. Dhabe to continue his speech.

THE **LEGISLATIVE** COUNCILS (COMPOSITION) BILL, 1981—Contd.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam...

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): What is the use of bringing this? (Interruptions)

AN HON. MEMBER: That was for Andhra Pradesh,

SHRI S. W. DHABE: You are from Bihar. The Legislative Council is not abolished in Bihar. (Interruptions)

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar). We will oppose the Andhra Pradesh Resolution. (Interruptions)

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu); There is no inconsistency. If the Government is for total abolition, then it is a different thing. Here the Council exists. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dhabe please continue.

SHRI S. W. DHABE: Madam Deputy Chairman, I am surprised to here from my friends that the Bill is not necessary. Under Article 168 of the Constitution, there is a provision constituting the Legislative Council in a State. There is also a provision for abolition of the Legislative Council The Legislative Council can be created again. It is not that if the abolition takes places, the Council cannot be again created. If you know the history of Andhra Pradesh, there was no Legislative Council in the beginning. In 1956, when the Reorganisation of States took place, there was a resolution passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly to create the Council and the Council was created. Now, if they want to abolish it. it is a different matter. I would just like to tell Mr. Sukul and Mr. Ramanand Yadav and others that the section is very clear on the matter.

The Vice-Chairman (Shri Powan Kumar Bansal) in the chair.]

The article provides that for every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor. and in the States of Andhra Pradesh. Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, etc. two Houses. I will like to quote Article 169 of the Constitution. It says:

"169. (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly preresent and voting."

"(2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitu[Shri S. W. Bhabe]

tion as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary".

Therefore, the power is very clear to create Constitution itself in the Legislative Councils or to abolish them whenever that is desired by an Act of Parliament. The Councils still exist in Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh and so on. I have already made my submission in my speech during the last sitting. I want to add something more to what I have already said. Now, the whole idea of the Upper House is to have democracy. functional After been found working of the Act, it has that it is restricted to graduates, teachers and local bodies whose representatives are elected to the Upper House. Even in the graduate constithinking is that merely tuency the constituting the graduate constituency sufficient because for facultyuniversity law provides wise representation. Here, the majority of the representatives are from Arts and Commerce and very few graduates in agriculture or engineering get a chance to be elected as M.L.C.'s to House. Therefore, one of the provisions which I have provided says that in the existing graduate constiteachers' tuencies or constituencies there should be a representation of agriculture and engineering faculties. The second thing which I have proone-twelfth electorates vided is about of members of trade unions and commercial and industrial bodies within the State. I have provided twelfth for teachers and one-twelfth for graduates. This functional democracy is not a new concept. It is already in existence in a few countries like Ireland, Canada, West Germany and even in our own country. In the 1935 Government of India Act the representation was not on the basis of franchise in the Legislative

the Centre. Assemblies and in But it was on the basis of different interests; and these two interests were given representation in the Parliament of that time, the Indian Federal Assembly. The trade unions were given seven seats and commerce dustry was given 11 seats. The main areas from where they were were Madras, Bombay, Bengal, C.P. and Barar Provinces. Even in the Provincial Assemblies of that time there were provisions for electing trade union representatives to the Provin-Assemblies. Madras had six constituencies for trade unions, Bombay had seven, and the C.P. and Barar had two. Similar was the provision representation of the managements of the industries and the commercial undertakings, including plantations. Therefore, this concept of functional representation not new. In fact, the Upper House can be treated as economic **Parliament** and this representation could be sidered every essential. It is very essential that labour and management, which are considered to be the main instruments of higher production and creating wealth in the country should find representation in the House.

Sir, the Royal Commission on Labour examined this question in 1931 and stated as follows:

"Dealing first with the latter aspect of the question, we would observe that there are several directions in which the adequate representation of labour should benefit both itself and the community. In the first place, the presence of representatives able to voice the desires and aspirations of labour and to translate these in to concrete is essential for the proper consideration of measures specially affecting labour. But the welfare of labour does not depend purely on what may be called labour measures; its good d epends on the whole trend of policy and legislation. More adequate representation of labour is necessary for its protection in this

222

respect and, if given the opportunity. organised labour can make a valuable contribution to the wise government of the commonwealth. Further, the proper representation latiour is itself educative: the recogaition of its claims as a part of the body politic will bring increased responsibility and a sense of unity with the community as a whole. Converselv, exclusion of labour from a fair share in the councils of the nation will inevitably drive it to rely unduly on other means of makine itself felt, with injury to itself and to the nation."

The Legislative Councils

Sir. these were the observations which were in fact responsible for giving representation to the working class and the management in the Provin-Assemblies and also in the Federal Assembly. In fact, the local dies also made a provision for trade union constituencies. Now, with the Constitution which we adopted new trend which we wanted to have was to have parliamentary democracy. and elections on the basis of adult suffrage. Therefore, the provisions · that were made for the Legislative Assemblies on the basis of different interests, on the basis of caste or community—the Christians and communities-were all abolished and it was a wise step. But so far as the Councils are concerned, I am definitely of the opinion that two Chambers are always useful for discussing problems and having a consensus. The Upper House can correct any mistakes made by the Lower House. And there is a greater opportunity for what we call the parliamentary legislative review, as we say judicial review in the Supreme Court, etc. The idea is that we can have a second discussion Bills passed by the Lower on the House. Now, the provision of Legislative Council which has been made is in the Representation of People Act based on article 171 and is under section 10 which says that allocation of seats in the Council of States having such Council shall be in the Third

Schedule and for the legislature of ' each State, in the First Schedule. Then they have given the number of Schedule allocated. Fourth gives the constituency of local bodies and what will be covered by it. I do not find any rationale, subject to what the Law Minister says.

On giving representation to graduates and teachers. I feel certainly the teachers as a class deserve representation. For Graduates as a class, their representation may be based on the feeling that people are illiterate and so educated people cannot elected in the general elections and. therefore such graduates were to be brought into the Upper House. But the most important sector is there and the Government and in fact every planner had said that without the cooperation of this sector that is, labour, and the capital no progress is possible in our country, and it is with this objective that I have brought the Bill. I have also given procedure for elections. We will have a qualifying clause. I have suggested in clause 5 that for this purpose elections will be based on the scheme of proportional representation by means of single transferable vote and the qualifying clause is just based on the clause which at present prevails. So far as trade unions are concerned, in University Acts it is stated that if the trade union is of a 5 years' standing. having membership of 5 years, then its members shall be entitled to be the voters in the constituency. Similarly I have proposed that only permanent employees shall have the to vote. I have also suggested in the case of commercial and industrial bodies, it must be a registered society of more than 5 years with a minimum to 50 members so that all the members can take part.

About the eligibility clause, I have given that if the membership down then automatically they will be deleted from the electoral rolls and also it has been provided that those who have got registered offices within: [Shri S. W. Dhabe]

the State alone shall have the right to take part in the elections.

I need not mention all the other provisions which are similar as provided in the old legislation. I have made reference in clause 9 so that the same terminology as in the Representation of People Act, could be used in this legislation.

Now, clause 10 is very important. Under article 171(5) Governor has the right to nominate on the Council only from among the persons having spetial knowledge or practical experience in respect of art, cooperative movement, literature, science and social service. But journalism and physical education, technology and sports are all types of categories are included minations and I have, therefore, suggested that it is very necessary that all types of categories are included because these are all very important, iournalism physical education and sports and I have suggested amendment to widen the scope for nomination of such persons who will be very useful and whose participation will be fruitful in the deliberations in the Upper House. In clause 2 1 have said that Government can make fules in the matter of allocations, in the matter of voters and other incidental matters. I, therefore, suggest that Bill is meant as a means to provide wider representation, to give wider representation, to different interests in the country. This should be accepted especially when the Constitution itself provides that Parliament has the power to change composition of the Legislative Councils when it feels necessary. I think it is hightime working class is given representation. The working class movement has come to stay. Similarly, the employers are also well-orga-Under these circumstances, I feel that my Bill may be accepted by the Government.

Thank you.

*SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra). Vice-Chairman Sir, Senior member of this August House, Shri Dhabe has brought this private members resolution. This is a very resolution. In this resolution he expressed his views about the Legislative Assembly and Legislative Council. Our socialism and democracy have a great ancient History. Shivaji Maharaj, Mahara-Chattiapati Laxmibai the queen of na Pratap, Jhansi and Mahatma Gandhi gave the message of freedom to this country. They abolished the slavery in this country from time to time. Now we are living in Freedom. There must be equal opportunity to all the sections of the society. The time has come to think over this. There were representatives from all the sections of the society British period also.

Now we have different houses like Assembly, Legislative Legislative council, Lok Sabha and Rajya Sabha. to discuss all types of issuese. Representatives of the people raise their problems, discuss them and solve them in these houses. I think Dhabe Sahib must have thought over reconstruction of the Houses and providing representation to the all sections of society. Dhabe Sahib was an active Congress worker. He spent his life in organizing the Congress workers. As that time he was concerned with problems of the workers and poor people. He knew how important this question was, that workers and poor people had no real representative to raise their voice in the forums of Lok Sabha or Legislative Assembly. Just now my friend Mr. Bhardwaj announced that government is bringing a resolution to provide representation to workers and students in the Legislative Council. I hope the government will take proper steps in this I feel that government will take steps as early as possible.

^{*}English translation of the original speech in Marathi.

Vice-Chairman Sir, Legislative Assembly and Legislative Council are very important houses at the state There representatives of people raise their questions and problems. All the sections of the house the issues and government comes forward with the solution. At state level the Legislative Assembly and Legislative Council have big responsibility of solving the problems of the people. The government takes in to account of various suggestions made by the representatives of people. But some of the states are eager to abolish the Legislative Council. time back Andhra Pradesh. Legislative Assembly passed a resolution to abolish the Legislative Council of Andhra Pradesh. I don't know what was their purpose. Whenever a new party comes to power it wants to change the complexion of the Legislature to suit their political interests. This is dangerous for the tuture of the democracy and the nation. This question does not belong to ruling party or the opposition, party. For the better future of the democracy we have to ponder over this question. I think that we have to give opportunity to provide representation to all sections of society in the Legislative Councils and Legislative Assemblies.

Vice-Chairman Sir, I know that there are representatives from teachers associations and local self government institutions in Maharashtra Legislative We know that in our freedom. movement farmers, labours, mill workers and other labours were active. Now a days elections are very costly. They are not able to contest elections. But I think that they must get representation in legislative councils. This is suggestion. Some times we discuss the problem of the students, but we do not have thorough understanding of their problems. So there must be student in representative each legislative council. After completion of college and University education we forget the problem of student. So my suggestion is that there must be 327 RS--8

one students' representative in legislative council in each state. Their actual representation may be decided by legal experts.

My next point is about representation of women in legislative Assembly and Legislative Council. There are 50 to 52 per cent women in our country. But in Legislative Assembly, Legislative Council, Lok Sabha and Rajya Sabha there are only 2-3 women representatives. I think their are only two castes men and women. Today is no provision to give 50 per cent representation to ladies. But my gestion is that there must be 50 per cent women representatives in Sabha Rajya Sabha, Legislative sembly and Legislative Council. Our society is male dominated which will not agree to give 50 cent representation to women. But now time has changed. In Japan and Korea ladies are working equally with

Ladies are working in factories. electronic industries and working as conductor in buses in Korea Japan. So I think that there must be equal representation to women. Panchayat samities, Zilla Parishads, Corporation. Legislative Municipal Assembly and Legislative councils also 50 per cent representation to women should be ensured. Vice-Chairman Sir, Shri Tarkatirtha Laxman Shastri Joshi was a great scholar in Marathi literature. Gandhiji Shri invited Laxman Shastri Joshi as a family priest on his son's marriage ceremony because no other bramhin priest were not ready to attend that marriage ceremony. In those days bramhin in our country did not have advanced views, but Gandhiji had progressive views. So they decided to boycott the marriage ceremony of Mahatma Gandhi's son. That time Shri Joshi expressed his views as follows. Family is like a University to the children. In this university father is the Chancellor and mother is the Vice-Chancellor. Children start their education in their family. If father and mother are cultured and patriot, their children will also be patriot. They will never

ISHRI S. W. Dhabel

become traitor. Progress does mean spending lot of money, establishing big industries and starting power projects. We have to teach the chilthat about dren in the childhood patriotism our culture and loyalty to the nation. By doing that we will be able to make our country great. feel that we have to reconstruct our society. Our secularism has a long tradition but what find today is quite different. Different situation prevails in rural areas. There is always tension among different communities and relegions. It is apprehended that this type of attitude will lead to downfall of the man kind. To avoid all this we have to think over how to reconstruct over society. We have to go to the root of this problem. To reconstruct the society we have to give representations to all sections of society, in Legislative Assembly and Legislative Council at the state level.

Vice-Chairman Sir, we have to see who are the members of Legislative Assembly and Legislative Council of the states? Most of the M.L.As M.L.C. are the followers of powerful Ministers. There must be representation to the mill workers as well small farmers in Legislative councils. There are some small farmers workers in the society who can't contest election. No party will be ready to give them ticket. In our country 80 per cent people are farmers. Out of them 75 per cent farmers are small farmers and are holding 2, 3 or 5 acres of land. There is no such difference between small farmers and workers. Land is less in the proportion to populations. Land is divided into pieces of 2 or 3 acres. And that is why the economical condition of the small farmers and workers is the same. therefore, I feel that there must be representation to the small farmers in the Legislative Council.

Scientists, Technicians, and agronomists, Engineers and experts of different subjects are wheels of our country's progress. They must get representation in the Legislative Council. When there are representatives from all section of society, and representative of the poor people living below the poverty line, then only our democracy will be successful democracy. We have to think in this direction also.

Government is proposing to bring a resolution regarding Legislative Council. I congratulate the Government for this. Our Congress Government has guided the nation for last many years. The Congress Government give direction of socialism to the nation. So that India rose as a powerful nation in the world. We have to formulate such scheme as could Intelligence into develon strength. When we are thinking in this manner we have to consider giving representation to various section in the different Houses. This was the dream of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Mrs. Indira Gandhi. There were always tears in Mrs. Indira Gandhi's eyes. when she saw injustice being meted out to any person belonging to backward class or backward tribes. She was the champion of poor and down trodden people. She tried her level best to help the people who were living below the poverty line. She tried to eradicate the poverty in this nation.

Now there is a need of fundamental revolution in the field of agriculture, science, technology, engineering and industry. If we are real representatives of the poor and down trodden people we have to solve these problems keeping in view their social and legal significance. Party system in this country has posed some questions which are dangerous for the future of this nation. We have to think over this continuously in near future.

Vice-Chairman Sir, I have already given some suggestions in this regard the main question is how will be able

229

to give representation to the people society in this section of all different legislative bodies. We have to give them political and social status. The time has now come think over it once again. My friend Mr. Bhardwaj is bringing a resolution in regard. It will be presented in the next Lok Sabha Session. I hope he will think over the suggestion giving by the members of this house, There is a question of poor man who is living below the poverty line. We have to raise the voice of poor people in the nation and highlight their misery and suffering. If we want to achieve welfare of poor people we have to give them representation in the different houses, so that he will be able to raise his voice in the houses. He is not aware of his rights at the present. He must become respectable citizen of this nation. India will never become powerful till there is inferiority complex in the minds of the people. Presently they are castes minded. There must be psychological change in the minds of citizens. There is need to amend the present laws. Our constitution was framed 35 years ago. There were some loopholes in our constitution. Necessary steps must be taken to give justice to the poor people. For this the composition of legislature bodies must be changed. My friend Mr. Dhabe has brought this resolution for providing the representation to trade unions and mill workers. On pattern if I suggest that there must be representation to agricultural workers, small farmers, students, and economically backward people, and to those also who can't bear the expenditure of election. Except Dhabe Sahib no body knows Marathi language in this house. You have listened to me patiently. I spoke in Marathi cause marathi is my mother tongue, and it is very cultural and rich language. Once upon a time this language was widely known and impressed the nation. More than thousands of Abhangas (stenzas) of Sant Nardeo are included in Guru Granth Sahib of

Sikhs. The social movement was always in this country due to Maharashtrian saints like Namdeo, Tukaram and Dhyaneswar. They taught country by their socialism to this Apangas and Kertanas. They taught the people that, this country is great country, its culture is a great culture and its religion is great religion. also taught the secularism to this secularism not nation. They taught only to this nation but to all the world. Marathi is cultural and a great language. I am thankful to you, that you have given me this opportunity to speak in Marathi. In the end I could like to read a poem of acclaimed court poet Yashwant. He wrote his poem on the death of this mother. The poem is as follows:--

Oh mother! some one call to her mother.

That call feels me an auspicious Calfs are with cows in cowpen Sparrows are feeding their cubs Seeing that my soul is distressed Even the Lord of universe is beggar without mother

Oh mother oh mother!!;

I feel attached to my mother tongue is like my mother. Therefore, I speak in my mother tongue in the House. People are quarreling on language issues. But Marathi speaking people never do it. We Maharashtrian are proud of our mother tongue Marathi. Therefore, I expressed my views in Marathi. I am thankful to you Sir, for giving me this opportunity.

र्थः कलाशपति मिश्र (बिहार) : <mark>अध्यक्ष गहोदय, लोकतंत्र की समृ</mark>द्धि श्रौर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका भी विचार करना <mark>त्रावश्यक है कि उसकी कितनी उपेक्षा हो</mark> रही है. कितनी अवहेलना हो रही है ? अभी विधान-परिषदों में जो लोगचनकर श्राते है, वह श्रसेम्बली से श्राते है, टीचर्स में, मे प्राते है, विद्यार्थी कंस्टीट्युन्सी से प्राते हैं लोकल त्रोडी कंस्टीट्युन्सी से स्रात है । इसके

[श्री कैलाशपति मिश्र]

स्रलावा पाचवा एक स्तंभ है—नोमीनेणन का, इसमें राज्यपाल नोमीनेट करते हैं। राज्य-सरकारें रिकमण्ड करती है, उसी स्राधार पर नोमीनेट होते हैं। श्रव संविधान के श्रंदर दिया हुन्ना है कि किस श्राधार के ऊपर नोमीनेशन होना चाहिए, दिया हुन्ना है— लिटरेरी फील्ड से श्रगर कोई ऐसा टेलेट, जीनियस नहीं है, लिटरेरी क्षेत्र से श्राना चाहिए, साइंस से श्राना चाहिए, श्रार्टस से श्राना चाहिए, कोपरेटिव मूबमेंट से जुड़ा हुग्ना है, उसमें श्राना चाहिए, सोशल सर्विस से, जिसका जीवन जुड़ा हुन्ना है, उससे श्राना चाहिए।

महोदय, मैं बिहार विधान-परिष का उदाहरण देना चाहता हूं। श्राज बिहार विधान परिषद में दो ऐसे केविनेट मिनिस्टर है। स्रभी विहार में 1984 में विधानसभा के चुनाव हए, क्लीन-इमेज करने के लिए इन दोनों को कांग्रेस पार्टी ने टिकिट नही दिया । किसी भी ग्रसेंबली सेवे ल डे नही है । चनाव समाप्त होने के बाद जब नई सरकार दनी, तो दोनों केबिनेट मिनिस्टर हो गए । मै विधिमंत्री जी से आग्रह करुगा कि जरा बिहार सरकार से इस बारे में पूर्छे । दोनो केबिनेट मिनिस्टर हो गए। लेकिन ग्रव छह महीने के बाद रहेगे कहा? न किसी श्रसेम्बला से चुनकर श्राए है, न कौन्सिल की किसी सीट से चुन कर श्राए हैं ग्रौर नहीं इनके चन कर श्राने की गुजाइश है । केविकेट मिनिस्टर बनने के बाद भी पांच ग्रसेंबली सीटों के लिए बाइ-इलेक्शन **ह**ए । पहले तो लगताथा कि पांच मीटों में मे कियो न किसी सीट के उम्मीदवार होंगे ग्रौर जीत कर चले ग्रायेगे । लेकिन समझ में ग्रा गया कि यह जो पांचों सीटे है, इनमें से किसी सीट के लिए भी इन्हें खड़ा किया गया, तो कही से भी जीत करके स्राने वाले नहीं है । उप-चुनाव समाप्त हो गए । एक दिन ग्रचानक समाचरपत्रों में पढ़ने के लिए मिलता है -बिहार विधान परिपद मे राज्यपाल महोंदय के द्वारा जो चार कौन्सिल की नामाकन वाली सीटे हैं, उनमे से दो पर इन कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टी वर्कर्स. पहले भी विधानसभा में रहे हुए हैं, नोमीनेट कर दिया है ग्रौर ग्रब तक छह

साल तक कौन्सिल में बैठे रहेगे । जब तक मिनिस्टरी में रहेगे , उनके ऊपर कोई आंच स्राने वाली नहीं है ।

संविधान में लोकतव की रक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं वनाई—लिटरेरी, साइंस, ग्रार्ट, कोपरेटिव मूबमेट, सोणल सरविस । मैं जरा विधिमवीं जी में जानना चाहूंगा कि यह कौनसी उपाधि दोनो मिनिस्टरों के साथ जुडी हुई है? कही से चुनाव लड जीतकर श्राए हैं; क्लीन इमेज के तिए दोनों को जगह नहीं दी श्रौर एकदम केविनेट मिनिस्टर फिर से बनाकर के, नोमीनेशन की चार सीटों में से दो पर इनको नोमीनेट करके विहार सरकार में बैठा दिया गया ऐसा क्यों?

एक और विचित्र स्थिति दिखाई दे रही है । ग्रर्भा विहार विधान-परिपद केवल चल रही है अभेवली से चुने हुए प्रतिनिधियों इ.श टोचर्स कंस्टीइयन्सी से चुने हुए प्रति-निधियों द्वारा, ग्रेजुएट कंस्टीट्यून्सी से चुने हए प्रतिनिधियों द्वारा लेकिन लोकल बोडी से विल्कृत साफ। अब लोकल बोडी की हालत यह है कि एक सीट भी लोकल बोडी की ऐसी नही रही, सब की सब खाली हैं । समस्या श्राकर खड़ी हो गई है। जब चुनाद कराए जाएं, इलेक्शन होने है, तो किसको दो साल के लिए रखा जाए, किसको चार साल के लिए रखा जाए, किसको छह साल के लिए रखा जाए। सवकीसब छह साल से ऋधिक सीटें खाली रही है, कोई छह साल, कोई ब्राठ साल, कोई 10 साल । इस प्रकार से लगातार माटे खाली होती चली गई है। नतीजा यह है कि जब पाच स्तम्भो के ऊपर विधान परिषद् को खडा रहना च। हिए शा, एक स्तम्भ में भयकर बांधली हो रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है ग्रौर एक स्तम्भ कहा गया उस का पता नहीं चल रहा है। वैसे मैं श्रादरणीय धाबे जी के मौशन का समर्थन धर रहा हूं , लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कितनी अनियमितता पैदा हो गयी है। वेन्द्र सरकार ने श्रगर ध्यान नहीं दिया श्रौर सुधार करने की कोशिश नही की तो सविधान का इतना खुल्लमखुल्ला उल्लघन हो रहा है कि कोई मान्यता, कोई नैतिकता रह नहीं जायेगी ।

हम सव लोगों को मालूम है कि दुनिया
में ऐसे भी देण हैं जैसे इंग्लैंड, जिसका
बहुत ही छोटा संविधान है, लेकिन कनवेंशन
हैं जिनका उल्लंघन नहीं होता। इस कारण
देण चल रहा है। हमारे यहां ग्रमेंडमेट
बहुत होते गये, पौथा बढ़ता चला गया,
लेकिन लगता है कि सत्ताधारी दल एकएक मान्यता को खत्म करने के लिए कमर
कस कर तैए।र है। मेरा ग्राक्षेप गलत है तो
मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दो
काग्रेम कार्यकताश्रों को, जो केविनेट
मिनिस्टर बने थे, क्यों नोमिनेट किया गया।
जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं है
उन का प्रतिनिधित्व ग्रमक्ष्व हो। इन्हों
शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन बर्गा हं।

श्रीकरपनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : म्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मिट धार्ब जी जो यह विल लाये है कि विधान परिषदों का गठन होना चाहिए और उस में ट्रेड युनियन का ग्रौर टैक्नीकल ग्रेज्एटस श्रीर एग्रीकल्चरल ग्रेज्एट्स का भी प्रति-निधित्व होना चाहिए, मै इस से सहमत है। उपाध्यक्ष महोदय, 1947 में देश के म्राजाद होने के बाद लोकतां जिक, गणता जिक राज्य की स्थापना हुई। हम ने यह फैसला किया कि डेमोक्रेसः ग्रौर प्लान्ड इकोनोमी के माध्यम से ग्रपने देश का विकास करेंगे। इस पद्धति की स्वतंत्रता संग्राम के संनानियों ने तय किया । दुनिया के वहत से देश **त्रा**जाद हुये । दुनिया के बहुत से मुल्की में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई ग्रीर दुनिया के दूसरे बहुत से देशों में पूजीवादी व्यवस्था प्स्थापित हुई, दुनिया के बहुत से मुल्को में मिलिटरी हुकुमत है । मगर हिन्द्रस्तान ही एक ऐसा देश है जहा सन् 1947 में ग्राजादी की लड़ाई के सेनानियों ने कांस्टीटयुगन स्रसेम्बली में बैठकर भारत के संविधान का निर्माण किया ग्रौर जनता के लिए जनता के द्वारा ग्रौर जनता की हकुमत को कायम करने का संकल्प किया। यह मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी भी किस्म की सरकारें है उन में सब से ग्रच्छी प्रजातांदिक सरकार होती है । लेकिन ग्राज मझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिपद् की 50 सीटों का चुनाव पिछले एक साल से नहीं हुग्रा।मैं कानून मंत्री से भ्रौर उत्तर प्रदेश सरकार

से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के चुनाव तुरन्त तत्काल कराए जायं। श्रौर यदि इसी जून में चुनाव कराये जा सकें तो मैं सरकार को उसके लिये धन्यवाद दूगा।

हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मुल्क में लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प लिया तो उसके साथ ही विधान सभाग्रों, विधान परिपदों ग्रौर राज्य समा ग्रीर लोक सभा का गठन हम्रा । लेकिन 22 प्रान्त है ग्रौर केवल 8 प्रान्तों में विधान परिषदें हैं और 22 प्रान्तों मे ग्रसेम्बलियां हैं ग्रौर 11 युनियन टेरिटेरिज, है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि 22 प्रान्तों में विधान सभायें हैं तो उन 22 प्रान्तों में विधान परिपदें भी होनी चाहिए। कम से कम तभी हम सम्यक रूप से ग्रपनी जनता के इंवाल्वमेंट से ग्रपने देश का विकास कर सर्केंगे । हिन्दुस्तान में जो डेग्रीकेटिक एक्सपेरीमेंट हो रहा है यह बहुत ही ग्रद्भूत एक्सपेरीमेंट है । दुनिया के वहन से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने साम्यवाद, कम्युनिष्ट सिस्टम के माध्यम से ग्रपना विकास किया है ग्रौर द्रनिया के वहत ज्यादा मुल्क हैं कि जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनामी के माध्यम से श्रपना विकास किया है, लेकिन हिन्द्स्तान एक ऐसा देश है जहां हम ने फैसला किया है कि हम प्रपने देश में देमोकेसी भी कायम रखेंगे ग्रौर प्लान्ड इकोनामी भी कायम रखेंगे। यानि हम मन की ग्राजादी के साथ-साथ पेट की आजादी भी स्थापित करेंगे। हम पुजीवाद की गदगदी गोद से हट कर एक नयी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें जनतंत्र ग्रौर समाजवाद दोनों होगा । जनतंत्र के माध्यम से समाजवाद भ्रौर समाजवाद के माध्यम से जनतंत्र होगा ग्रौर दोनों एक साथ चलेंगे। यह एक बहुन बड़ा कदम है ग्रीर दुनिया के लोगों को इसी पद्धति का श्रनुकरण करना होगा । हम ने इसी कारण मिक्सड इकोनामी के सिद्धांत को स्वीकार किया था । इसी लिये हम ने मिक्स्ड इकोनामी के सिद्धांत की स्वीकार करते हुए भी पब्लिक सेक्टर की कमांडिंग हाइट्स ग्राफ दि इकोनामी स्वीकार किया । 1885 में कांग्रेस पार्टी ने जन्म लिया **ग्रौर** हिन्द्स्तान से ग्रंग्रेजी हुकुमत को खत्म करने के लिए ही उस का जन्म हुग्रा था। हिन्दुस्तान में जो राजे-रजवाड़े ताल्लुकेदार,

श्रिः कल्पनाथ राय

जमीदार ग्रादि जो ग्रंग्रेजों के प्रतीक वन कर हिन्द्स्तान का शोषण कर रहे थे उनको समाप्त करने के लिए इसी संकल्प को ले कर 1885 में काग्रेस पार्टी की स्थापना हई थी ग्रौर वह काग्रेस पार्टी कालांतर में चल कर पूर्ण स्वराज्य के ध्येय को प्राप्त करने में सफल हुई । उनके लिए जवाहर लाल नेहरु की ग्रध्यक्षता में लाहोर कांग्रेस ने फैसला किया कि हम पूर्ण ग्राजादी को प्राप्त करेंगे ग्रीर 1930 में जहां पूर्ण म्राजादी का संकल्प जवाहर लाल नेहरु की ग्रध्यक्षता में काग्रेस ने लिया वहीं 1936 में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया, जवाहर ने लखनऊ में नेहरु से कहा ग्रध्यक्ष की हैसियत I am a socialist. I believe in socialism. The objectives of Congress is to establish scientific socialism. The problems of India i.e. poverty and unemployment cannot be solved without socialism. I want to convert Congress into a socialist organisation. में जवाहर लाल ने कांग्रेस को समाजवाद की तरफ जाने के लिए दिशा दी थी ग्रौर 1942 की अन्जादी की लड़ाई हुई और 1947 में देश म्राजाद हुम्रा । 1950 में भारत के संविधान का निर्माण हुम्रा ग्रौर 1952 में पहली कार एडाल्ट फ्रांचाइज के आधार पर पूरे हिन्दुस्तान में चनाव हुए । 1953 की ग्रावाडी कांग्रेस मे जवाहर लाल नहरु ने कहा कि 1 want to establish a socialistic structure of society. मैं समाजवादी दिचि श्राधार ् पर हिन्दुस्तान मे समाजवादी ढांचे की सरकार बनाना चहिता है। 1962 में कांग्रेस पार्टी ने कामराज जी की श्रध्यक्षता में भ्वनेश्वर कांग्रेस में प्रस्ताव किया कि सहकारिता हमारे समाजवाद की श्राधारणिला होगी । 1967 श्रीर 1968 में फरीदाबाद कांग्रेस में श्री निज-लिंगप्पा जी कांग्रेस श्रध्यक्ष थे. **'**न्होने कि कहा प्राइवेट सेक्टर I will occupy the commanding height of the economy.

देश को नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस फरीदाबाद कांग्रस में 1968 में कहा था। पब्लिक सैक्टर बिल स्नाक्षाइ कमांडिग हाइट्स् ।

श्रीमान, 1968 में जो कांग्रेस म्राई थी उस समय कांग्रेस के नेतात्रों के बीच में समाजवाद के सवाल पर, पव्लिक सैक्टर ग्रौर प्राइवेट सैंक्टर के सत्रात्र पर जो संघर्ष हुआ उससे काग्रेस के विघटन की नींव पड़ी। कांग्रेस मे दो विचारों का संघर्ष उभरकर ग्राया । 1969 में कांग्रेस पार्टी का बटवारा हम्रा । उस समय देश की प्रधान मंत्री ऋौर हिन्दुस्तान की नेता श्रीमती इंदिरा गाधी थीं जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजाश्रों के प्रिनी पर्स को समाप्त किया। ये दौनों कदन हिन्दूस्तान के इतिहास में समाजवादी कदम थे। इन दोंनो सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी में मतसेद हुए । कांग्रेस के एक पक्ष ने वैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में मत दिया ग्रीर काग्रेस पार्टी के एक पक्ष ने राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति का विरोध किया श्रीर कांग्रेस पर्टी का बंटवारा हआ। देश की नेता श्रीमती इंदिरा गाधी न समाजवाद के सवाल को लेकर 1971 में चनाव लडा । गरीवी हटाम्रो को देकर कहा कि जो लोग हिन्दूस्तान से गरीबी को हटाना चाहते है वे हमें वोट दें ग्रौर जो हमको हटाना चाहत है वे ग्रांड ऐलावैंस को वोट दें। परिणामस्वरूप देश की जनता ने समाजवादी विचारधारा श्रौर गरीबी हटाओं सवाल पर देश की नेता श्रीमती इंदिरा गाधी को वोट दिया. देश की जनता उनके पीछे चटहान की तरह खड़ी हो गई।

श्रध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस पार्टी में लगातार विचारधारात्रों का मंघर्ष होता रहा है । हमेशा विभाग *क्*ांग्रेस पार्टी मे सिद्धांतों के ग्राधार पर हग्रा में कहना चाहता हूं कि ,ग्राज काग्रेस पार्टी के अन्दर बहुत से दक्षिणपंथी ताकतें अपना प्रभत्व स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वे चाहते है कि पडित जवाहरलाल नेहरु ग्रौर श्रीमती इंदिरा गांधी की लेफ्ट टुदि मेंटर की जो दिगा समाजवाद की रही है उसको कमजोर किया जाए । देश के समाजवाद में निष्ठा रखने वाले काग्रेसजनो का

महान कर्त्तव्य है कि हम ग्रपने देश की परिस्थिति को देखते हुए देश के नेता प्रधान मंत्री राजीव गांधी के हाथों को मजबत करे क्योंकि वे ही देश की एकता ग्रीर देश की ग्रखंडता की रक्षा कर सकते हैं। श्राज हिन्दुस्तान ऐसे दौर में श्रा गया है, ऐसी म्रंतर्राप्ट्रीय परिस्थिति मे फस गया है जिसमें देश की श्रदरूनी स्थिति ने भी देश को ऐसे चौराहे पर लाकर खडा कर दिया है जिसमें राष्ट्र की एकता, राप्ट की ग्रंखडता ग्रौर राप्ट की सार्वभौमिकता को बचाने के लिए, ग्रन्त-र्राप्टीय कूचकों से भारत की रक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री राजीव गाधी के हाथों को मजबुत करना ग्रावश्यक है। राजीव गांधी के हाथों को वही मजबूत करेंगे जो समाजवादी विचारधारा मे विश्वास रखते है, जो हिन्द्स्तान के अन्दर पब्लिक सैक्टर की इकानामी पर विश्वास करते है। वे नहीं जो काग्रेस पार्टी के अन्दर दक्षिण पंथ को मजब्त चाहते है, जो पंजीवादी ताकतो को क्रना चाहते मजबत हिन्द्स्तान के अन्दर प्राइवेट सैक्टर की इक्।नामी को मजबूत करने के चक्रकर में लगे हुए है। मुख में राम, बगल में छरी की तरह से जो हिन्दुस्तान में काम कर रहे है। यह विचारधारा का सघर्ष सच्चाई ग्रौर ईमानदारी के ग्राधार पर होता है। इस्लिए हिन्द्रस्तान की मैहनतक्ष जनता को, हिन्द्स्तान के कांग्रेस जनो को या जो श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति मे विश्वास करते है, लोकतंत्र की नीति, सेक्युलरिज्म की पालिसी में विश्वास करते है, वे देश के नेता राजीव गांधी के हाथों को मजबत करें । राजीव गाधी को ग्राज कमजोर करने का मतलव देश को समजोर करना है। देश तब मजबत होगा जव हिन्द्स्तान समाज-वाद की दिशा में कदम उठाएगा श्रीर कदम बढाएगा । हिन्दुस्तान के करोडों-करोडो लोगों के हित में क़दम उठाए जाएगे और 20मूत्री कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर लागू किया जाएगा। समाजवाद की दिशा तब मजबत होगी जब पब्लिक सैक्टर कमाडिंग हाइट्स श्राफ इक्षनामी कैप्चर करेगा श्रीर कांग्रेस प्रतिक्रियावादी. पार्टी के ग्रन्दर जव रिग्रवशनरी तःकतों की साजिशों को किया जा सकेगा ।

हिन्दुस्तान के सच्चे कांग्रेसीजन जो इन्दिरा गांधी की नीतियों में, जवाहरलाल नेहरु की समाजवादी नीतियों में निष्ठा रखते है, जिनकी निष्ठा समाजवाद में है वे समाजवाद के माध्यम से हिन्दुस्तान की जनता को मजबूत करेंगे। विश्व की महान नेता और देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा जी ने कहा था:

"I want to make India a socialist, powerful developed, strong and India. But, for making India strong and powerful, united and tremendous national efforts are Either dynamite the economy of the country or get vourself dynamited." इसलिये हम देश की महान नेता श्रीमती इ न्दिरा गांधी को भारत की करोडो समाजवादी जनता की तरफ के धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने 1976 में 42वां अभेंडमेंट टरके हिन्दूस्तान के सविधान के प्रिएम्बल लिखा:

"India will be a demoratic socialist and secular Republic."

1976 के पहले :

"India will be a democratic State.' हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इसी भारत की संसद ने 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से यह संकल्प लिया था कि :

"India will be a democratic, socialist and secular Republic."

हम भारत के सविधान के माध्यम से समाज-वाद की स्थापना के लिये वचनबद्ध हैं। केन्द्रीय नंत्रिमडल का हर मंत्री, मेम्बर पार्लियामेट, विधान परिषद् का हर सदस्य, विधान सभा का हर सदस्य मंविधान की कसम खाता है कि मैं ईश्वर की शपय लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ग्रपना सविधान प्रिजर्व रखुगा और म्रक्षुण रखगा । इसकी रक्षा के लिये मैं हर कुर्बानी कर्मगा। ग्राज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है समाजवादी संविधात की रक्षा करना समाजवाद की रक्षा करनी है तो समाजवाद की दिशा में मजबूत करने के लिये राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करना है। श्राज कांग्रेस के श्रंदर जो समाजवादी तावर्ते हैं उनको एक साथ मिल कर काम करना

श्री कल्पनाथ राय

होगा। हिन्दुस्तान की इकोनोमी, पब्लिक सेक्टर की इकोनोमी, कमाडिंग हाईट्स ग्राफ दी इकोनोमी को हर कीमत पर रखगे ग्रीर हिन्दुस्तान समाजवाद की दिशा में लगाहार कदम बढ़ायेगा।

प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी ताकत 1968 में यह तर्क दिया करती थी कि पब्लिक सैक्टर इकोनोमी क्यो घाटे में है, मिसमैनेज्ड है। उनका कहना था कि क्योंकि व्हाइट एलीफेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रियोरिटी दी जाती है। वही तर्क 1968 के बाद 1984 में दक्षिणपंथी ताकतों के प्रतिनिधि दे रहे हैं। (ब्द्रवधान) हमारे धाबे साहब जो विधान परिषद् का बिल लायें है मैं उसी समाजवाद को, उसी लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए कहना चाहता हू कि इसी लोकतंत्र और समाजवाद का मतलब है पीपल्स इन्वाल्वमेंट।

र्श्वाः शंकर प्रसाद मित्र (पश्चिमी बंगाल): बिल के बारे में बोलिये।

कत्पनाथ रायः जब विधान परिषद् में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भ्रायों ने तो मैं भ्रादरणीय कानून मंत्री श्री भारद्वाज जी से निर्वेदन कस्रुगा, क्योंकि वह पूरे देश के कानून मंत्री है, जब 22 प्रांतों में से केवल 8 प्रांतों में विधान परिषदें हैं तो मैं चाहूंगा कि 22 प्रातों में विधान परिषदें भी गठित की जाए क्योंकि वे लोकसभा या विधान सभाग्रों का दर्पण होती है। एक ग्राइना होती है जिसमें हैं पूरे देश की तस्वीर दिखलाई देती है। जनता का दुख जनता का सुख, जनता की ग्राकांक्षाए, जनता की उत्कठाएं जनता की ग्राकांक्षायों का प्रतिबिम्ब उसमें होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हुं कि विधान परिषदों का गठन राष्ट्रीय हित में, लोकतंत्र के हित में ग्रनिवार्य है। विधान परिषदों में जनता के चुने हुए, ग्रेजुएट्स कंस्टीट्युऐंसी के लोंग इलेक्ट होकर भ्राते हैं। जो धाबे साहब ने कहा कि ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि विधान गरिषदों में नहीं हैं, मैं चाहंगा

कि हिन्दुस्तान जब श्रौद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, हिन्दुस्तान सातवां इंडस्ट्रियल पावर बन चुका है श्रौर श्रौद्योगिकी समस्याश्रों से लगातार लड़ रहा है तो ज्द्योगों में लगे हुए जो मजदूर हैं, उनके प्रतिनिधि भी विधान परिषदों में श्राने चाहिएं श्रौर जो मनेजमेंट के प्रतिनिधि है उनको भी विधान परिषदों में श्राना चाहिए ताकि जब काई सवाल संकट का खड़ा हो तो विधान परिषदों में तो अपनी -श्रपनी समस्याश्रों को रख सकें श्रौर सरकार उसका हल ढूढ़ सके।

ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का चुनाव नही हुन्ना है। मैं फिर म्रापके माध्यम से ग्रादरणीय कानन मंत्री निवेदन करुंगा वि: वे परिषद् का चुनाव तत्काल करायें। ताकि विधान परिषद का गठन होने के बाद ठीक प्रकार से काम चल सके। हमने लोक सभा का इंस्टिट्यणन बनाया है। हमने विधान सभाएं बनाई है। उसके बाद जिला परिषदे, पंचायतें ग्रौर ग्राम सभाएं बनाई । हम चाहते है कि चौखम्बे के श्राधार पर हिन्द्स्तान का राज चले। जहां हमारे देश के केन्द्र में पालियामेंट है, वहां स्टेटस में विधान सभाएं है। उसी तरह से जिलो में जिलापरिषदें है। ये सव संस्थाए कानृन के ग्रनसार इलेक्टड बाडीज होनी चाहिये। उनका भी चुनाव पांच साल के बाद किया जाना चाहिये। गांव सभाग्रों का चुनाव भी हर पांच साल के बाद होना चाहिये ताकि हमारे देश की जनता हर स्तर, पर राष्ट्रीय समस्याय्रों पर भी विचार कर सके जनता की समस्यात्रों का हल ढंढ सके।

स्रादरणीय धावे जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे यह पता चलता है कि बहुत-सी राज्य सरकारों ने यह प्रस्ताव किया है कि विधान-परिषदों को भंग कर दिया जाए। इस प्रकार का स्नायह वे केन्द्रीय सरकार से कर रही हैं। इसका कारण यह है कि विधान परिषदों में विरोधी दल के लोग बहुमत में होते है। जब कोई नई सरकार सत्ता में स्नाती है तो वह विधान परिषदों के तो वह विधान परिषद की भंग करने की

बात करती है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिए एक राउण्ड टेवल कांफ्रेस बुलानी चाहिए जिसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हों, जिसमें 22 प्रान्तो के चीफ मिनिस्टर हो, वे रीजनेबल तरीके से विचार-विमर्श करें। यह किसी पार्टी का सवाल नही है । विधान परिषद के गठन मे किसी पार्टी का सवाल नही हैं। यह पूरे राष्ट्र का सवाल है । यह जनतंत्र का सवाल है। यह मसला लोकतंत्र से जुड़ा है। जब जनता के प्रतिनिधि विधान सभा ग्रीर विधान परिषद में ग्राएगें तो वे जनता की स्राकांक्षास्रो को उसी रूप में परिलक्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में म्राज विधान परिषद को भंग करने की जो बात कही जाती है वह बहुत गलत है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है । इसलिए मैं कानन मंत्री जी यह से कहना चाहंगा कि हिन्द्रतान के बाइस प्रान्तों में जहां भी विधान सभाएं गठित है वहां विधान परिषद् भेः गाठित कः जाना चाहिए ताकि विधान सभा श्रीर विधान परिषद दोनों मिलकर राष्ट्र को संचालित कर सबें।

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY (Andhra Pradesh): In 17 States there is no Council.

श्री कल्पनाथ राध: ग्रादरणीय रेड्डी जी 17 राज्यों में कौसिल नहीं है, यह हो सकता है, लेकिन मै यह कह रहा हूं कि इन 17 राज्यों में भी कौंसिल होनी चाहिए। मैं यह कहां कह रहा हं कि नहीं होनी चाहिए। ग्रापकी ग्रान्ध प्रदेश की सरकार विधान परिषद को करने की बात कह रही है। विधान परिषद् को भंग करके भ्रापको कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्राप प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले व्वक्ति हैं। ग्राप श्री रामाराव जी को समझाइये कि ग्राप इस इंस्टिटयशन को भंग करने की जो बात कर रहे है, यह उचित नहीं है। ग्राप इसको भंग करने की बात इसलिए कह रहे है कि विधान परिषद् में कांग्रेस का बहुमत है। विधान सभा में तो श्रापका ही बहुमत है। दो साल, चार साल, छः साल या आठ साल में ग्रापकी पार्टी वहां बहुमत में हो सकती है क्योंकि विधान परिषद् के चनाव हर दो साल के बाद होते हैं। इसलिए भाप विधान परिषद् को भंग करने की बात मत कीजीए । मैं कारन मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र की जड़े मजबत करने की दृष्टि से भी विधान परिपदों का होना बहुत जरूरी है। हर प्रान्त मे जहां लैजिस्लेटिव ऐसेम्बली है वहा लैजिलेटिव कौंसिल भी होनी चाहिए ताकि जनता की समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान ढूढा जा सके। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जनता **अ**पने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखती है। जब जनता के प्रतिनिधि जनता की भावनाग्रों के ग्रनुकूल साबित नहीं होते हैं तो जनता उनको रिजेक्ट कर देती है. दूसरी सरकार ले म्राती है। इसलिए यही तरीका दुनिया में सबसे ग्रन्छा तरीका है। हिन्द्स्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने श्राजादी की लड़ाई के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर सन् 1947 में भारत की ग्राजादी दिलाई। महात्मा गांधी के नेतत्व में देश ने म्राजादी हासिल जी। कराची कांग्रेस में ग्राजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया गया था। स्वतंत्रता के सेनानियों ने कांस्टिच्य्येन्ट संग्राम भ्रसेम्वली में बैठकर भ्राजादी की लडाई के उद्देश्यों को मद्देनजर रखत हुए हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के लिये संविधान का निर्माण किया ग्रौर उस संविधान के तहत पिछले 1952 में ग्राज टक हिन्दू-स्तान में प्रजातंत्र कायम किये हुए है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गौहव की बात है कि ग्रफ़ीका, एशिया भी दक्षिण भ्रमेरिका जैसे देशों के बीच में हिन्दू-स्तान ही एक ऐसा देश है जो प्रकातंत्र की ममाल जला रहा है। दुनिया के बहुत से देशों में प्रजातत्र ग्राया एशिया, ग्रफीका ग्रौर दक्षिण ग्रमेरिका के बहुत से मुल्कों में प्रजातंत्र ग्राथा, मगर वहां पर प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया, फौजी तानाशाही वहां पर स्थापित हो गई। कही पर ग्रन्त-र्राष्ट्रीय कुचकों के कारण प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया ग्रौर कहीं देश की ग्रावभ्यकता के ग्रनुसार वहां प्रजातंत्रमें का गला घोंट दिया गदा ग्रीर पर ग्रार्थिक संकट के कारण प्रजातंत्र खत्म हो गया । हिन्दुस्तान ही एक ऐस देश है जहां पर प्रजातंत्र की मसाल प्रजातंत्र का चिराग जल रहा है। विकाश शील देश होते हुए भी हिन्दुस्तान

र्शिकल्प शथराय रे प्रजातंत्र पिछले 35-36 सालों से कायम है । इस देश मे एक पार्टी की सरकार वर्षों तक रही है, विरोधी पार्टीयों की भी सरकार इस मल्क में स्थापित हुई है। पीस-फुल टांसफर ग्राफ पावर इस मुल्क में तीन-चार बार हो चुका है। यहां पर प्रजातंत्र की जड़े इतनी मजबत हो गई है कि वह दुनिया के प्रत्य देशों के लिए एक मिशाल बन चुकी है। इसलिए हिन्द्स्तान में प्रजातंत्र की जड़े श्रौर मजबत करने के लिये, हिन्द्स्तान की भाजादी की लड़ाई के उद्देश्यों का ध्यान में रखते हए, उन उद्देश्यों को प्रचारित ग्रौर प्रसारित करने के लिए हिन्दुस्तान की म्राजादी की लड़ाई का उद्देश्य जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उस आजादी की लड़ाई के उद्देश्य केवल हिन्दुस्तान की ग्राजादी नहीं है बल्कि पूरी द्निया की स्राजादी है। दूनिया के सभी मुल्कों की ग्राजादी न केवल राजनैतिक ग्राजादी विल्क ग्राधिक क्राजादी, किसी भी तरह के गोषण से मुक्ति, दुनिया में विश्व शान्ति की स्थापना, हथियारों की होड़ को समाप्त करना, इन सारे उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हिन्दू-स्तान की ब्राजादी की लडाई लडी गई। तो हिन्द्स्तान की ग्राजादी केवल हिन्द्स्तान के लिए नहीं लड़ी गई बल्कि पारी दुनिया के मार्गदर्शक का काम करने के लिए लडी गई। उस ग्राजादी की लड़ाई को महे-नजर रखते हुए हिन्दुस्भान में लोकतन्त्र की स्थापना हुई । यह इस देश का सौमाग्य है कि यही एक ऐसा देश है जहां ऐसे भी नेता रहे हैं जिन्होंने सत्ता की तरफ अपनी निगाहें कभी नहीं उठाई । उपसभाध्यक्ष महोदय, दुनिया के जिन भी देशों में क्रांति हुई उन देशों के क्रान्ति के नेतास्रों ने स्रपने स्रपने मुल्कों की बग्गडोर संभाली। चीन में क्रांति हुई श्रौर वहां पर मावो-त्से-तंग ने वागडोर संभाली, रूस में फ्रांत हुई ग्रौर लेनिन ने हुक्मत की बागडोर ग्रापने हाथ में संभाली, श्रमेरिका में क्रान्ति हुई तो जार्ज वाशिगटन ने वहा की सत्ता की बागडोर संभाली । लेकिन हिन्दुस्तान महात्मा गाधी के नेतृत्व में ग्राजाद हुई लेकिन महात्मा गांधी ने हक्मन की वागडोर पंडित जवाहर लास नेहरु के हाथों में सौपी श्रौर जन शक्ति के प्रतीक वन रहे । वे लोक शक्ति के प्रतीक होकर राव से ऊपर रहे । इसी

तरह से इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने राज सत्ता से अलग हो कर जनशक्ति और लोकशक्ति का प्रताक बनकर जनता का मार्ग दर्शन किया । इसी तरह से विनोबा भावे राज शक्ति से ग्रलग रह कर जनशक्ति, लोकशक्ति के प्रतीक बन कर रहे । इस तरह के जो " नेता हैं वे राज सत्ता से भ्रलग होकर जनशक्त ग्रौर लोकशक्ति का प्रतीक वनकर सरकार की सही बात को कहना ग्रौर विरोधी पार्टियों की सही बात को भी कहने के प्रतीक वने रहे। ग्राज इस मल्क में इसी तरह के जनशक्ति ग्रीर लोकशक्ति के प्रतीक नेताग्रीं की ब्रावश्यकता है जो राष्ट्रीय पैमाने पर जनशक्ति ग्रौर लोकशक्ति के प्रतीक बनें ग्रौर राष्ट्र का राजकाज चलाने वाले लोंगों को समय-समय पर प्रागाह करते रहें, समय समय पर उनका मार्ग दर्शन करने रहें ताकि लोकशक्ति ग्राँर राजशक्ति दोनों मिलकर इस मल्क में प्रजातंत्र को कायम रख सकें श्रौर इस प्रजातंत्र के माध्यम से हम समाजवाद की स्थापना करें । ग्रीर सनाजवाद के माध्यम से समृद्धि कायम करें ग्रीर समृद्धि के माध्यम से समता के सिद्वात को दुंहें ग्रीर समाजवाद तथा लोकतंत्र के रास्ते मे पूरी दुनिया में विश्व विकास ग्रौर विश्व गांति की स्थापना के लिए जो एक सपना है उनको साकार कर सकें। स्रादरणीय उपसभाव्यक्ष महोदय, ग्राडरगीय साहब के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि विबान सभाग्रों में न केवल ट्रैड यनिपनों • के प्रतिनिधि होने चाहिए, न केवल एग्री-कत्चर सैक्टर के प्रतिनिधि रहने, न केवल टैक्नीकल सैक्टर के प्रतिनिधि होने चाहिए। वरिक हिन्दुस्तान की लैजिन्लैटिव ग्रसेम्बली जिन 22 प्रान्तों में है उन सभी में विधान परिषद भी कायम होनी चाहिए ताकि जनमत की म्राकांक्षामों का प्रतिनिधित्व ज्यापक पैमाने पर विधान सभा श्रौर विधान परिषदों के माध्यम से हो सके ग्रौर जनता की ग्राकांक्षाग्रों को जानकर हम स्रपने प्यानिंग कमीशन के माध्यम से ग्रौर ग्रपनी प्लान्ड एकानामी के माध्यम से हिन्द्रस्तान को एक खुशहाल श्रीर समृद्धिशाली मजवून समाजवादी राष्ट्र बना सकें जिसकी कल्पना हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। इन णन्दों के साथ में धावे साहब के बिल का समर्थन करना हुं।

ie in.

)5]

246

श्री हक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसमाज्यक्ष महोदय, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हम्रा कि मझ से पहले मेरे प्रति साथी भाई कल्पनाथ जी बोल रहे थे। उनके विचारों को सुनने का स्रवसर मिला। मैं इस सदन •में इस विधेयक की मारफत किस हाथ मजबत करने के लिए कह मुझे कोई दिखाई ही नहीं यड़ रहतहै । वह नो कह रहे थे कि किन का हाथ मजबूत करिय । इस विजेयक में न तो श्री राजीव गांधी का हाथ मजबूत होगा और इससे उसका कोई मनलब है न संदर्भ है । श्रो राजीव गार्धा के हाथ को मजबत करने केलिए यह सभी लोग उनके हाथ को मजबन नहीं करेंगे बल्कि श्री राजीव गांधी स्रकेले इन सब का हाथ मजबूत कर रहे हैं। यह सब ग्रापने मन से उनके हःथ मजबूत करने का नारा चाहे जितना लगा लें लेकि । वास्तविकता यह है कि राजीव गांधी स्रकेले ही इन सब लोगों के हाथ मजबूत करने में सक्षम है, कर रहे है ग्रौर उन्होंने करके दिखा दिया है । इसलिए यह लोग नारा लगा रहे हैं जो नहीं लगाना चाहिए , वह कमजोर नही है । खैर उन बातों को जाने दीजिए । मैं भ्रापसे यह निवेदन करने के लिएं खड़ा हुम्रा हूं कि श्रीधावे जी ने यहां जो प्रस्ताव रखा है विधान परिवद् के गठन के लिए हम राज्य सभा के सदस्य हैं जिसकी श्रंग्रेजी में कहते हैं कौंसित ग्राफ स्टेटस मनतत्र यह है कि यह लोक सभा नहीं है यह राज्य सभा है श्रीर यहां पर राज्यों के प्रतिनिधि है । हमिकसी वर्ग विशेष के या किसी समुदाय विशेष के प्रतिनिधि नहीं है बल्कि हम राज्यों के प्रतिनिधि हैं ग्रीर सम्पूर्ण राज्य के हैं यहां जो कोई भी है वह उस राज्य का प्रतिनिधि माना जाएगा न कि केवल एक निश्चित बिबानसभा क्षेत्र का ग्रौर इसी के पीछे यह भावनः थी कि जो लोक सभा का सीधा निर्वाचन होता है बहुत से ऐसे प्रतिमाणाली व्यक्ति है जो लोकसमा के मीबे निर्वाचन में भाग लेना नहीं चाहते या उससे कतराते है । जब गांधी जी और नेहरू जी का जमाना था तो नेहरू जी के बाद का जमाना कुछ ग्रौर हम्रा ग्राज का जमाना क्या है, कहा नहीं जा सकता है। सन् 1967 में अब विधान सभा मे मैं चुनाव जीत करग्रायाथाग्रौरग्राजजब विबान सभा **ऋौर पालियामें**ट को देखता हंतो मुझे ऐसा

लगता है कि जैसे में कोई दूसरी दूनियां का बन गया हं वह दूनियां कही और चली गई है। गाधा जी ग्रौर नेहरु जी के जमाने में च्नाव कछ ग्रौर थे, उनमें प्रतिभाशाली चरित्रवान, योग्य ज्ञाती, त्रिज्ञानी, त्यागी तपस्वी और ईमानदार लोग, चुनाव में भाग ले भी लेते थे लेकिन ग्राज के यगमे चुनाव का नाम सून कर वो सज्जन लोग ऐसे भागते है जैसे बैल लाल कपड़े को देख कर के भागता है । ग्राज तो राइफल, बन्दूक, गोली स्टेनगन, ब्रेनगन के ग्राधार पर जब चुनाव होता है तो कौन मज्जन जाएगा चुनाव के मैदान मे । चुनाव में खड़े होने मे उसकी कोई गिनती नहीं है, कौन गरीव ऐसा चुनाव लड़ने जाएगा कौन मजदूर चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते । इस राज्य सभा का गठन इसलिए किया गया कि ऐसे प्रतिमाशाली लोगों को जो सीधे निर्वाचन में नही क्रांसके तो उनको यहां पर लाया जाए जिनकी उप-योगिता केवल एक प्रतिनिधि की हैसियत से नही हो बल्कि जिनकी बुद्धि की उप-योगिता, ज्ञान-विज्ञान ग्रीर दुरद्शिता का उपयोग कर के हम देश के संचालन में उनका उपयोग कर सकें । वह केवल उनको नौकरी देने के लिए नहीं किया गया । मैं भ्रापको एक उदाहरण देना हं। जैसे बड़े बड़े लोगों के मकानों में स्रोरनामेंटल ट्री होता है जिसमें न फल लगता है न फूल लगता है, वह किसी काम का नही होता है, किसान की समझ में उसमें न फल लगेगा न फूल लगेगा लेकिन उसके पत्ते रंग विरंगे देखने में सन्दर होते है । जैसे वह ग्रारनामेंटल ट्री होता है जो नयन मुख के लिए होता है वैसे यह राज्य सभा नयन मुख के लिए नहीं है। इस राज्य सभा को केवल नयन मुख के लिए ग्रारनामेंटल ट्री बना कर न रखा जाए बल्कि लोकसमा के जिरिए जो कुछ ग्रांवे तो उस पर उनकी सोचने विचारने, ठंडे दिल से राजनीति की भावनाम्रों से दलगत हितों से उपर उठ कर द्यपनी र[ु]य देने का ग्रवसर मिले जिससे राष्ट्र को उनके विचारों से लाभ पहुंच सके । प्रत्येक राज्य मे विधान परिषद् के पीछे भी वही भावना थी कि विधान परिषद् बनास्रो ताकि दोहरा नियवण हो । मान लीजिए कभी कर्मा बहमन दल अगर पागल हो जाए पागल कहने से घबराईए

श्रिो हक्मदेव नारायण यादवी नहीं मैं किसी व्यक्ति को पागल नहीं कहता बल्कि मैं यह कहता हूं कि जब वहमन प्राप्त दल को उन्माद हो जाए, विलक्त वह ठान ले, निर्णय ले कि हमको यह करना ही है। ग्रौर बहुमत के बल पर अगर वह कर दें तो फिर उस पर सोचने के लिए कोई जगह लोकतंत्र में ऐसी होनी चाहिए जहां जाकर फिर उस पर सोचा जाये, पुनविचार किया जाये । लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि विचार, पुनर्विचार ग्रौर समन्नति । समद्ध ग्रौर शक्तिशाली लोकतत्र तभी है जब कहते है "सहमित" । मतलव सब लोगो की पूर्ण रूप से सम्मित, सहमित न बन जाए तब तक विचार को चलाते रहें. यह लोकतंत्र की मर्यादा है । बहुमत दल श्रगर कभी उन्मादी बनकर काम कर बैटे, ऐसा विधान बना दे जिससे राष्ट्र के लिए खतरा हो तो फिर कही न कहीं उस पर पनिवचार करने की एक संस्था हो, स्थान हो, जहां पर कि उस पर प्रविचार किया जाये और फिर उस पर गम्भीरता के साथ सोचें इसी के लिए तो यह द्वि-सदन की प्रणाली बनायी गयी है ग्रौर द्वितीय सदन का निर्माण किया गया है । विधान परिपद् का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया था । फिर राज्य सभा ग्रीर विधान परिपदों मे भी राष्ट्रपति ग्रौर राज्यपाल के जरिये कुछ मनोनीत करने का प्रावधान रखा गया कि मनोनीत किये जायेंगे । उसके लिए प्रणाली रखी गयी कि जो साहित्य में, कला में, खेल मे, विज्ञान में सब में वडे बड़े जो विद्वान लोग हैं--हम लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उठा पटक, छल कपट तिकडम तोड़ फोड की राजनीति करने वाले लोग हैं, वे इनसे परे है ऐसे लोगों को नामीनेट करके उनको सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कराया जाता था । ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनो-नीत करेगे जिनको एक श्रद्धा की नजर से देखा जाये तो ऐसे बुद्धिजीवी जो उच्च बद्धिजीवी वर्ग में हों, साधारण नहीं, उनके म्रदर यह विश्वास पैदा हो कि हमारे लिए भी कहीं देश में श्रद्धा ग्रौर सम्मान का स्थान है उनके लिए भी एक प्रावधान रख दिया गया ।

ग्रव स्नातक, मतलब जो बी० ए० पास हो गये, चाहे डाक्टर हो, ग्रधिवक्ता

हो' वकील हो, मध्यापक हों, प्राध्यापक हों, ये जितने है ये स्नातक हैं ये विधान परिषदों में चुनकर चले जायेंगे। जितने लोग स्वायत्त संस्थायों के प्रतिनिधि हैं वे उसमे चुनकर चले ग्रायेंगे । हालांकि स्वायत्त संस्थाग्रों में गड़बड़ है । जैसे बिहार में देखते हैं, जितनी स्वायत्त सस्थाग्रों के प्रतिनिधि हैं उनको तब माना जायेगा जब ग्राम पंचायत का मेम्बर ग्रीर पंच जो है, वार्ड का पंच या ग्राम पंचायत का मेम्बर है वह भी उसमे वोटर वनेगा तभी वह ग्रसली स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधि माना जायेगा । लेकिन ग्रभी है क्या केवल जिला जितने सदस्य हैं उन्हीं को वोटर बना दिया गया है अर्थात ग्राम पंचायत के मुखिया लोग जो ग्राम प्रधान है वे भी इसमें मतदाता नहीं हैं केवल सीमित लोगों को रखा गया है ग्रौर उसमें हमारे विहार में तो जिताना श्रौर हराना श्रपने हाथ की बात है। हमारी सरकार वन जाये तो हम जितने ही को चाहें स्वायत्त सस्था मे जिता दें । इसलिए नोटीफाइड एरिया कमेटी बनाना ग्रपने हाथ की बात है। एक छोटे से कस्बे में ग्रधिसूचना कर देंगे ऋौर 40-50 मेम्बर्स को नामीनेट कर देंग चाहे दूनिया एक तरफ हो श्रौर श्रकेले हमारे श्रधिसूचित क्षेत्र के सदस्य एक तरफ हों। हम उसी के बल पर ग्रपने मन के लायक ग्राप्टमी को जिता देगे। ऐसे म्बायत्त संस्थाए बनती है।

तो स्वायत संस्थाओं के आ गयें, स्नातंक आ गयें, विधान सभा से आ गये और शिक्षक बंधुओं के बीच से चले आये । कहने का मतंबल आधे में आधे घर और आधे में स्व घर हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। इस देश में 2/3 आदमी तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं:

लीक लोढ़ा पत्थर सोलह दुणा म्राठ । काला म्रक्षर भैंस बरावर ।।

वह मुहर छाप है जहां जाता है तहां दस्तखत नहीं करते कागज पर स्टेम्प लगाते हैं। वे स्टैम्प छाप हैं। तो देश के ग्रन्दर जो 2/3 स्टेम्पिंग करने वाले लोग हैं उनको छोड़कर केवल 1/3 श्रादमी हैं जिन्होंने 249

विभिन्न रास्तों से, भोग के साधनों पर ग्रपना ग्रधिकार अमाने का रास्ता बना लिया है। कुछ शिक्षकों के माध्यम से ग्रा जाग्रो, कुछ स्वायत्त सस्था के माध्यम से द्रा' **जान्रो**, कुछ प्रतिनिधि बनकर न्ना जान्नो, कुछ विधान सभा के मारफत चले स्रास्रों। पत्तन्य जिसको जैसे लगे चले स्रास्रो । दिल्ली से गाड़िया खुलने लगती है तो जिसको जयंती जनता मिलती है उसी पर चढ़ जाग्रो जिसको सूपर फास्ट मिलती है उस को पकड़ लो, मेल मिले तो उसको पकड़ लो नहीं तो पैसेंजर ही पकड़ लो लेकिन पढ़े लिखे म्रादमी, निहित स्वार्थी वर्ग के म्रादमी ही किसी न किसी विधान मंडल और संसद में पहुंच जायें ग्रीर बाकी देश का जो 70-80 प्रतिशत सम्दाय है उनका इनसे कोई सम्पर्क संबंध न रहने दो !

भाई कल्पनाथ राय जी स्रभी कह रहे थे कि गांधी जी का सपना था कि देश 4 P.M. को बनाम्रो। भैया, देश मजबन तो तब बरेगा जब देश के 100 में से 98 ग्रादमी, 99 ग्रादमी, 95 ग्रादमी, 94 ग्रादमी ख्णहाल होंगे , मालदार होंगे. बुद्रिमान होग, पढे-लिखे होंगे, भ्रच्छे मकान वाले होगे, उनका सोचने का तौर-तरीका ठीक होगा, तभी तो देण मजबूत बनेगा। कल्पनाथ राय ग्रौर हक्तदेव नारायण यादव को खिला-पिला कर विल्कल गैडा बना दो, जंगल के जैसे और देश के 98 स्रादमी को बिल्यूल सुखा कर लकडी की तरह बना दो, लकड़ी बना दो जो हवा में हिलती चले, तव देश मजवृत नहीं बनेगा । हम श्रोर श्राप केवल खा-खा कर पहलवान वन जाएं, गैडा वन जाएं, तो देश मजवृत नहीं वनेगा। स्वस्थ गरीर का मतलव है कि गरीर का सम्पूर्ण विकास हो, उसके अनपात के अनसार से पैर भी हों, अनुपात के अनुसार हाथ भी हो, अनुपात के अनुसार उगली भी हो, ग्रन्पात के ग्रन्सार ग्रांखें भी हों, तभी तो देखने में मुन्दर लगेगा। भाई साहब किसी का शरीर तो बना दो मटके की तरह इतना बड़ा और पैर बना दो तीन इंच अप्रौर पेट साढ़े बारह फुट का तो बनाय्रो कहीं कोई वह ब्रादमी देखने लायक रह जायेगा? तो श्राप ऐसे राष्ट्र को मजब्त बनाने की कल्पना करने हो जिसमें गरीबी के महासागर

मे अमीरी के टापू पर निश्चित रूप सक्छ थोड़े से कमल खिला कर के देश की मन्दरता बढाना चाहंन हो । गरीबी के महासागर में श्रमीरी के टापू पर एक-ब्राध गुलाब की कर्ली लगा दोगेतो उससे देश बलवान नहीं बनेगा। देश तो बलवान तव वनेगा जव हिन्द्स्तान की हर झोपडी से म्राणा की रोशनी निकलेगी मौर देण के हर प्रादमी को पेट मे रोटी, तन पर कपडा ग्रौर रहने को मकान मिल सकेगा । इसलिए किसी व्यक्ति को बनाने की बात मत करिए, प्रादर्श को बनाने की बात करिए। स्राप जब कहते हो ठोक बात है विधान परिषद् वनाएं या जो हम लोग लोकतंत्र की बात करने हैं, आप तब कहने लगत हो प्रजातंत्र, हम तो मानंत नहीं हैं कि प्रजातंत्र कहीं है। राजा चला गया, न राजा रहेगा, न रानी रहेगी, यह माटी सभी की कहानी कहेगी। हिन्द्स्तान में न काई राजा है ग्रौर न कोई रानी है, ग्रव तो सद वराबर है । हमारे सामने सिधिया स्टेट के महाराज राजकुमार माधव राव जी बैठे है ग्रौर मैं भी यहां बैठा हूं। मेरी हैसियत का ग्रादमी उनके यहां कभी कोई पटवारी या कोई दरवारी का काम करने वाला रहा होगा। लेकिन लोकतंत्र में हम दोनों बराबर हैं। वराबरी की हैसियत से बैठते हैं, बराबरी का स्थान है, बरावरी का दर्जा है । नही लगता है कि वह कोई राजकुमार है ग्रार न ही लगना है कि मैं कोई गरीव किसान के घर कि बेटा हं। लोकतंत्र में यही तो बर(बरी है।

रेल संबालय में रःय मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): ग्रापकी वरावरी तो हम कर नहीं सकते।

श्री हक्मदेव नारायण यादवः यही तो बराबरी है, यही तो लोकतंत्र है कि ग्रापने उठकर जब कह दिया कि ग्रापकी वरावरी नहीं कर सकते । लोकतंत्र की यही तो महानता है। लोकतंत्र की जड़ें इसी से तो मजबूत होती हैं, जब देश का वडा ग्रादमी भी छोटे ग्रादमी को भी ग्रपने से ऊंचा मानने लगे तो देश ज्यादा मजबत बनेगा। मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा था कि देश यों बना करता है और देश को बनाकर सब को प्रतिनिधित्व दो, ग्राशा का संचार दो कि लोग सभझें कि यहां

[श्री हुक्म देव नःरायण यादव] मुझे भी कुछ मिलने वाला है। धाबे जी ने जो कहा कि विधान परिषद् में उनको कुछ प्रतिनिधित्व मिले । तो बहुत वर्ग है, एक है क्लास ग्रौर एक है कॉस्ट । हिन्दुस्तान में जाति ग्रौर वर्ग, थे चीजें है। मैं इस मामले में केवल थोड़े से शब्दों में इसकी स्पष्ट करना चाहंगा कि दुनिया के ग्रन्थ देशों में जब यूरोप की बात आप करते हो तो युरोप में केवल एक क्लास है, केवल वही वर्ग है ग्रौर हिन्दुस्तान के ग्रन्दर मे वर्ग नही है, हिन्दुस्तान में क्लास भ्रौर कास्ट, दे दोनों है ग्रौर क्लास ग्रौर कास्ट दोनों एक-दूसरे के पुरक हैं। गतिशील वर्ग हमेशा वर्ण बनता रहता है और गतिहीन वर्ग ही हमेशा वर्ण बन जाया करता है। जब शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, शिक्षक का बेटा ही शिक्षक होगा, तो वह शिक्षक का क्लास नहीं रहेगा वह तो शिक्षक का कास्ट हो जम्पेगा। जब इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर होगा तो वह वर्ग नही रहेगा, वह कास्ट हो जायेगी। एम०एल०ए० का बेटा ही एम०एल०ए० होगा तो एम०एल० ए० एक वर्ग नहीं रहेगा, एम०एल०ए० एक जाति वन जायेगी। राजा का बेटा ही राजा होगा तब वह जाति वन जायेगी ग्रौर वर्ग नहीं रहेगा। जब वर्ग के ग्रन्दर विभिन्न संप्रदायों के लोग ग्राते रहते है तो वह वर्ग बनता रहता है। दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान का क्लास ही का कास्ट बन गया है। भ्राप बढ़ई कहते हो। बढ़ई का मतलब क्या होता है। जो लकडी का कारोबार करे, उसका नाम बढ़ई है। इस परिभाषा में चाहे बाह्मण हो, चाहे ग्रहीर हो ग्रौर चाहे वह किसी भी जाति का हो ..।

ग्रगर लकड़ी का कारोबार करता है, तो उसको बढ़ई कहो। लेकिन बढ़ई नहीं कहा जा सकता । कल्पनाथ राय जी, धर्म बदल सकते हो, लेकिन हिन्दुस्तान में जाति नहीं बदल सकते। ग्राप ग्रपने धर्म को बदल दो, हिन्दुस्तान ने ईसाई बन जाम्रो, हिन्दुस्तान में किश्चियन बन जाम्रो, इस्लाम में चले जाओ ग्रंथीत इस देश में किसी भी मजहब या धर्म को बदल सकते हो, जाति को इस देश में नहीं बग्ल सकते हो।

धाबे जी ने जो प्रस्तावरखा है, यह उन वर्गों के लिए रखा है, जो जाति का सबसे दबा हुन्ना समुदाय है, रिक्शा चलाने वाला, तागा चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला, खेत में खेतिहर मजदूरी का काम करने वाला, पानी पिलाने वाला, सेवा करने वाला, चौका-बर्तन करने वाला। यह सब क्या है? यह सब भी तो ट्रेड है। इसको, जैसे धाबे जी ने कहा, जो ट्रेंड युनियन है, इसमें मिलाना चाहिए। ता मैं कहंगा कि पहले ग्राप ट्रेंड का इस देश में विश्लेषण करो, ट्रेड की व्याख्या करो। इस देण में बहम चलाग्रो कि ट्रेड के माइने क्या है, ट्रेंड का मतलब क्या है ? इस देश में ट्रेंड का मतलब है-किराने का काम करे, कलम चलाने का काम करे, वाबुगिरी करे, कारखाने में काम करे, तो यह ट्रेंड होगा। लेकिन चलाना ट्रेड नहीं है, तांगा चलाना ट्रेड नहीं है, खेतों का काम करना ट्रेंड नहीं है। यह क्या है ? यह सभी ट्रेड है।

जब ग्राप कहते हो, दक्षता के नाम पर, उप-सभापि महोदय, कभी-कभी कहा जाता है कि दक्षता के नाम पर जगह मिलनी चाहिए कि यह दक्ष है। मै हिन्दूस्तान के तमाम पढ़े-लिखे बद्धिजीवियों को चुनौती देता हूं कि जो ग्रपने को दक्ष कहते हों, ग्राई०सी०एस०, शाई०ए०एस०, <mark>ग्राई०पी०एस०, हिन्द्</mark>रस्तान के बड़े-बड़े ग्रिधिकारी, पदाधिकारी, ग्रध्यापक, व्याखाता सभी को इस सभा की मार्फत चनौती देना चाहता हूं कि तुम ग्रपने को दक्ष कहते हो, हाईकोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तुम अपने को दक्ष कहते हो, श्रपने को कहते हो कि हम दक्ष हैं। तो दक्षता तुम्हारी हम देखना चाहते हैं। तुम मेरे साथ खेत में चलो। मैं ग्रपने किमान के हल का मूठ तुम्हारे हाथ में रखता हूं। ग्रगर तुम हल का मूठ चला दो, तो मै कहूंगा कि तुम दक्ष हो । जो खेन में काम करता है, हला चलाता है, वह भी ते दक्ष है उतना, जितना कि कुर्सी पर बैठा हुन्ना दक्ष है। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में वकील ग्रौर नाई दोनों वराबर हैं क्योंकि पेट पःलने के लिए दोनों को रोटी अर्जन करनी होती है । मुलाधार क्या है ?

²53

मुलाधार है-चार भ्राने की मजदूरी कर **पेट** भरना। मेरा भी स्राधार है पेट के लिए रोटी, जो हाईकोर्ट का चीफ जिस्टम है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीण है, उसका भी ग्राधार है-रोटी । तो यह रोटी पाने वाला जो इतना समुदाण है, जो पसीना वहाता है, मेहनत करता है, हिन्दुस्तान को सजाता है संवारता है, खुशहाल बनाता है, सुन्दर बनाता है, हिन्दुस्तान में सूखे हुए चेहरे पर अपने हाथों से मालिश करके देश के मुट्ठी भर लोगों के गालों पर तो लाली लाता है, लेकिन ग्रपने तन को सुखाकर काला बनाता है धूप की गरमी में। इन करोड़ों इंसानों के लिए कोई हिन्दुस्तान में प्रति-निधित्व का कानून हो। भारत के किसी संविधान में यह नहीं होगा क्योंकि उस समय जो सविधान वना था, उस संविधान पर हमारे ब्रादर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छलछ।या थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू के राजनीतिक दृष्टिकीण के कुछ बातों के विरोधी रहे हो । लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू एक उदारवादी व्यक्ति थे, जो सपूर्ण वर्गी को उठाने के एक अरमान थे। हम उन्हें उस समय भी मानते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना ग्राजाद, गोविद बल्लभ पत्त, डा० संपूर्णानन्द, रफी स्रचार्य किदवई, डा० राजेन्द्र प्रसाद, ग्राचायं नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि जो हमारे देश के चमकते हुए सितारे थे, भारतीय स्वतंत्रता **संग्राम में नक्षत मंडल के चमकते ह**ए सितारे थे। उन सब लोगों की जो छाया थी, उसके चलते भारत के संविधान में हमें बहुत कुछ मिल गया। ग्रफसोस ग्राज ग्रगर तो हमें वही संविधान बनाया जाता, कुछ नहीं मिलता। भले ही हिन्दुस्तान के दबे, बुचले, शोषित, पीड़ित, हरिजन, श्रादिवासी के नारे कितने चाहे लगवा लो, लेकिन दिल में उनके लिए कोई दर्द नहीं है, जुबा पर चाहे मखन की पालिश हो। इसको कहने में मुझे कोई एतराज नही है।

उपसभाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ने जो कुछ हमको दिया, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया, गोबिद बल्लभ पंत ने दिया, नत्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया, संविधान में इन्होंने हरिजनों, पिछड़े लोगों को जो दिया, समान ग्राधिकार दिए । ग्राज

महात्मा गांधी की ही कर्मभाम, जन्मभूमि गुजरात मे उसी के खिलाफ ब्रांदोलन खड़ा हुम्रा है। यह देश कहां जाए? क्या ग्रिधिकार है, इस देश को गांधी जी का नाम लेने का? क्या ग्रिधकार है इस देश है उन लोगों को गांधी जी का नाम लेने का जिन्होने गांधी को उठा कर समृद्र में फेंक दिया है, गांधी जी की लाश को इतने गहरे कुएं में दफन कर दिया है जहां से गांधी को कोई याद भी न स्राये। गांधी जी का नाम लेते हो ग्रौर कहते हो कि विधान परिषद को वैसा बनाग्रो, लेकिन कैसी विधान परिषद बनाते हो ? राज्यपाल मनोनीत करते है किसी साहित्यकार को, कलाकार को, किसी संगीतज्ञ को, किसी **ग्रभिनेता** को ? विहार मे चल देखिए, वहा कहते हैं .--

जीतल एम० पी० जेल में गले, हाल एम० पी एक ही चेल

विना टिकट के मत्री भेल, देखें। भाई करम के खेल।

को टिकट नहीं देने हो, बिहार में क्लीन इमेज के लिए, राजीव गांधी राजनीती चाहते है, का टिकट गेट ग्राउट। लेकिन फिर को गवर्नर के द्वारा मनोनीति किया जाता है। मबी बने पहले. मनोनीत हए बाद में।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: Sir, let him not take their names.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PA-WAN KUMAR BANSAL): I would request the hon. Member not to say anything which may seem defamatory or incriminatory for a person who is not present in the House.

श्री हक्ष्मदेव नारायण यादव: सही। मैं नाम नहीं लेता, नाम ग्रागयाती उस को निकाल दिया जाय।

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE PAWAN KUMAR BANSAL): I will expunge that part.

^{*}Expunged as ordered by Chair.

श्रो हकमदेव लारायण यादव: ग्रगर मेरे वापस लेने से ग्रन्तर पड़ता है तो. मैं ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे लीगों को आप विधान परिषद में मनोनीत करते है जिन्हें हम कहते हैं कि विधान सभा का चनाव लड़ने के लायक नहीं हैं : भ्राप पहले मंत्री बनाने हैं तब विधान परिषद में मनोनीत करते है। कहने का मतलब है कि पहले बेटा का नाम रखते है ग्रौर फिर वेटा पैदा कर देने है। पहले मंत्री बनाम्रो फिर उसे विधान परिषद में मनोनीत करो। यही बात आनी है। यही विधान परिपद लेकर कोई नवा समाज निर्माण कर सर्कोंगे रे ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। सन् 1968 में, कल्याण राय जो. अपने सीने पर कांग्रेस समाजवादी ग्रान्दोलन के हम ग्रौर ग्राव जुझारू सियाही थे, श्रयने सीने पर कांग्रेस की लाठी सहते थे, उप मनय सबिद सरकार को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने पड़यन्त्र चलाया था और स्व० विन्हयण्वरी प्रसाद मंडल को नयक्त समाजवादी दल वाहर निकाला था ग्रौर मुख्य मंत्री बना कर गवर्नर के द्वारा मनोनोन कराया गया था। 68 में बिहार से यह परस्वरा चनी थी। ग्रात भी यह परम्परा चल रही है। कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं जो उच्च कोटी के साहित्यकार हों, उच्च कोटी के विद्वान हों उच्च कोटी के लेखक हों, समाचार पत्नों में काम करने वाले हों, उच्च कोटी के ट्रेड यनियनिस्टस हों ? एक नहीं स्रनेकों है क्योंकि स्राप सताधारी दल के ही, ग्राप महासागर हो, इस महासागर में तो ग्रतेक मगरमच्छ हैं, छोटो-मोटी मछिलयों की वात क्या, इप में तो व्हेल मछिलियां बहुत धूम रही है, राह्र का तो पूछने वाला कौन है । ऐसे लोग है। लेकिन हम कहां जा रहे हैं। हमारा पतन हो रहा है। सामाजिक आधार चला जाएगा तो कोई ग्रवरोध नही ग्रायेगा, नीचे गिर्त चले जाएंगे।

ग्रादरणीय भारद्वाज जी, धाबे जी ने जो कहा है उस को मान लेना ग्राप के हाथ में नहीं है क्यों कि वह ऐसा विषय है जिस में संविधान में संशोधन करना पड़ेग, ग्रापको ग्रपनी पार्टी की मीटिंग बलग्नो पड़ेगी, केबिनेट को फैसला लेना पड़ेगा, सारे प्रदेश के मध्य मंत्रीयों की बुला कर उन से सत्राह[ँ] मशविरा करना पड़ेगा। तब ऋषि कुळ फैनला कर सकते हैं, ग्रोकेने ग्रापके हाथ में नहीं है, लेकिन ग्राप भारत के विधि मंत्रो की हैसियत से इस सदन में बैठे हुए हैं। जो धावे जी ने कहा वह भी भावना है ग्रौर देश के म्रन्दर जो करोडों पोडिन, उनेक्षिन समदाय है उस को मैं पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ा वर्ग कहना हं--पह पिछडा वर्ग ग्राधिक शैक्षणिक द्राप्टिकोण से वंचित कर दिया गया। महर्षि त्रिवेकानन्द की वाणी को कोट कर के मैं समाप्त करूंगा। परम स्रादरणीय विशेकानन्द जी ने कहा कि हिन्द्स्तान मे दासप्रथा इस प्रकार बनी थो को विजेनास्रों ने हारी हुई जातियों को विनप्ट नहीं किया वरिक उनके स्रार्थिक अधिकारों को सोमित कर दिया । एक सामा में घर कर रख दिया कि तुम्हारे स्राधिक अधिकार इस से अगो नहीं होंगे और वहीं से यह छोटो छोटो जातियां म्रा गयो भोर उनके अधिक ग्रधिकार मोमित हो गये। बाहमगों को व्यापक स्राधिक स्रधिकार दिये गर्न । अतियों को ऋर्थिक अधिकार ब्राहमणों से कम रहे ग्रौर इस निये वे क्षविय कहलाये । उम से कम ग्राधिक **श्र**धिकार वैश्यों के रहे श्रोर इस लिये वे वैष्य कहनाये ग्रौर सब से कम ग्रार्थिक ग्रधिकार शद्रों को दिये गये ग्रोर इप निर वे शुद्र वर्गके कहलाये। श्राप्त इप में परिवर्तन लाना है। यह वही वर्ग है जा श्रयना पसीना वहाता है, यही वर्ग है जो सब से ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है, यही वर्ग सब से ज्यादा कमाने वाला वर्ग है ग्रौर जो कियानों के एक सौ लोगों में सतर की संख्या मे है। कियानों का कोई प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। श्राज यहां दरवारा सिंह जी भी किसान हैं श्रौर हम लोग भी किसान हैं। हम किसी भी पार्टी से चुन कर चले आयेगे लेकिन किमान के नाम पर किमानों का प्रतिनिधि कोई किसान ग्रगर चनाव में खड़ा हो ग्रौर किसानों के बाट पर चन कर श्राये, उन का श्रपना कोई संगठन हो. ऐसा क्या हो सकता है ? क्या उन का इस तरह से कोई प्रतिनिधि चुना सकता है ? श्रगर चना जाता है तो उस किसान के प्रतिनिधि को विधान सभाग्रों

257

लाम्रो, खेतिहार मजदुरों के प्रतिनिधि को विधान परिषदों में लाम्रो. ग्रोर चलाने क प्रति-यः (**ग**(T वालो निधि को विधान परिषद में लाम्रो. होटल में काम करने वालों के प्रतिनिधि को लाग्रो. चपरासी स्रोर पियन का जो लोग करते हैं उन के प्रतिनिधि को परिपदों में लाग्रो तब समग्र रूप से समाज वनेगा ग्रौर विकसित रूप से ग्राप को दिखाई पड़ेगा।

मै अपनी वात खत्म करते हए निवेदन करूंगा कि खस को टट्टी, कल का पंखा, ठडा गरम मकान ग्रौर मोटे मोटे श्रीर मोटे गहों पर सो कर के गरीबी पर हम जितने भी उपन्यास लें या चाहे जितनी शीसस लिखलें लेकिन जिसने गरीवा को स्रांखों से देखा है, जिप्तके मां बाप को टटी रहना नही पड़ा है, जिस को फटा नहीं पहतना पडा है ग्रौर समाज चौराहे ग्रौर सडक पर जिसको उपेक्षित नहीं होना पड़ा है ग्रपमानित होना पड़ा है वह दुखिया के दिल का दर्द नहीं जान सकता। नहीं जानसकता इस लिए हमारे यहां दुख्याम्रों क ग्रावाज भारत की संसद में ग्रीर यहां विधान सभाग्रों में ग्रौर यहां की विधान परिषदों मे उठे इस के लिये है कि धावे साहव का जो विधेयक स्राका है उस पर सरका**र विचार करे। उस पर** सरकार बहुन चलाये ग्रीर इस को सरकार माने । आशा करता हं कि भारहाज इस पर विचार करेंगे। वे बढिमान भ्रौर विधिवेता हैं। उद का काफी यश भी रहा है। वेइस काम को करें ग्रीर यश स्रौर बढायें।

इन शब्दों के साथ मैं धाबे नाहब के विधेयक का खुले दिल से समर्थन करता हूं।

KALYANASUNDARAM: SHRI M. Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the Bill moved by my honourable friend, Mr. Dhabe, because it has provided an opportunity for us to discuss the advantages and disadvantages of having a Legislative Council.

I do not subscribe to the view that a Legislative Council is essential. Just a few minutes before this Bill moved, I do not know why the Minister announced the decision of the Govthe Legislative ernment to abolish Council only of Andhra Pradesh. What does it show? Because the ruling party there in Andhra Pradesh was very keen and they wanted to abolish it, you are doing it. But, on fundamental issues the Government has no clearcut policies and they do not take firm decisions at the appropriate time, whether it is reservation for backward classes or other important issues connected with Centre-State relations. Even on some important questions connected with our national unity, the Government is not able to take quick decisions and move forward. They are willing to hit but are afraid of wounding the vested interests. They announce their noble sentiments and pronounce very bold policies, but when it comes to the question of implementation, they retreat. That has been the sad experience of this Government or even the predecessor Government. That is why our country is passing through such serious crises whether in Gujarat or in Punjab or in Assam or in the south. Can we not take a firm decision with regard to abolition of the Legislative Councils? When you are bringing a Bill for abolition of the Legislative Council only in the State of Andhra Pradesh, can you not consider the question as a whole whether it is esential for other States? What is the experience? Some friends were very eloquently supporting the idea that the Legislative Council is a symbol of larger representation. No. It is an obstructive mechanism conceived by the British. It is a hang-over of the British hierarchical system. Sir, all of us were fortunate enough to be born at that time in our country. I am proud, I am an Indian and I was born in this century. If I had been born 50 years earlier. 1 would have missed the opportunity of seeing the saga of the freedom struggle, and if I had born after 1947, then also I would have missed the post-

(Shri M. Kalyanasundaram)

freedom struggle. So, I am proud that I have had the experience of the freedom struggle and also the post-freedom struggle. What is the experience? Why did the framers of or Constitution not take a bold decision whether a was necessary, Legislative Council white they were emphatic that for Parliament the bicameral s. essential? They created the 1a and created this, Rajya S 118 is not on the model of the British House of Commons and the House of Lords. This is different. unique. It is our own thinking on the basis of our own experience our history, our tradition, our Rajya Sabha is not the Council of Lords, although in important question of procedure, practice we are following the British traditions because that was the country which introduced the parliamentary system first in the world. Britain is considered to be the mother of parliaments, and, so, we are following it with regard to the procedure. But with regard to the stucture, we have our own perspective for the future.

Why should the Government hesitate when the question of abolition of the Councils come. When the Council exists, how the representation should be there, how they should be composed, is a different issue. Only trade unions and working class should get representation is a different issue, When we have introduced adult franchise, why do the workers and the peasants not get majority in Parliament and in the State Legislatures? It is a very important question which everyone of us should examine.

We have given adult franchise. Now the demand is for reducing the age of voting to 18 from 21. That will be a very important step if the Government agrees to it. Electoral reforms are necessary to see that people send their real representatives. In the last session, immediately after the election, the Government came with a Bill for the prevention of defection. That was brought again under compulsion, not out or conviction, because having secured such a vast majority they were not sure that the enure majority wo was only to prevent expeople deserting and opposition.

Similarly, on the question of the Legislative Council, the Government should take a firm decision as early as possible. Don't keep this lingering and don't take a de on the basis of ad hoc compulsions or conditions. Why I am speaking so emphatically for the abolition of the Legislative Council is, ours is a federal structure and a multi-party system. After 1967 the single party which was ruling has split up. The split started first in 1952. In 1952 Opposition became a r in the then composite S 13. All 63 communists formed an opposition front and elected the veteran freedom righter, Shri T. Prakasam as the leader and sent a let' Governo: Then instructio from the Centre not to accept it. Shri Rajaji was nothing at that time. He had seen everything. He served as Governor-General and then as a Minister. He was leading a retired life. They brought him and elected him as the leader and prevented non-Congress party from forming the Government. How did Rajaji came to Legislature to become Chief Minister? He was nominated to the Legislative Council. Not even elected. So, that is my first experience in 1952. I was sitting in the Opposition Benches. So, our experience shows that Legislative Council will be used for such purposes. What is given by right hand is taken away by the left hand. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu where non-Congress parties have come to power. for five years, the Legislative Council will be dominated by the party which was in power previously. The As-

sembly will have a different outlook and different orientation. The majority in the Council will be used against the Assembly. Leader of the Opposition in the Assembly and the Leader of the Opposition in the Council, they can act jointly and with the guidance from the Centre, they can be used for frustrating and defeating the policies of the majority in the Assembly. We have many States in our country. So, each State has its own experience. If a different party comes to power in a State other than the ruling party at the Centre, the Centre can use Legislative Council to defeat the non-Con-Governments. There is a contradiction between the Assembly and the Legislative Council. It is true that they can only delay the matters. For example, a radical Bill is brought for the conferment of land to the tenants or the take over of a temple land and confer permanency to the tenant, it is delayed by the Legislative Council. So, because of this experience we are of the opinion that the Legislative Council should be abolished.

Even the framers of our Constitution were not so sure about they were so sure that the Legislative Council in the States were essential then the Constitution would have been different. At the time of framing Constitution, opinions were divided. They have cleverly provided for the abolition of the Council and vested the powers in the State. The State Assembly can pass a Resolution and the Parliament must frame the Act. The framers of the Constitution were not so sure about the need for a bicameral system at the State level. Our experishows, in a federal structure with multi-party system, the Legislative Council in the State is not necessary and the State administration Therefore, I am can function better. for abolition of the Legislative Council as a whole. Nevertheless I welcome this Bill-not that I am supporting the principle. But if the Legislative Council remains, my friend has suggested some provision for the trade

unions. Again I would ask my friend to consider one thing. He is a committed trade unionist with a left ph..., losophy and idealogy. I have known him closely. I would ask him whether his Bill will provide for inclusion of NGOs. The NGOs have no trade union rights. When you fight for participation of workers in the management of . industry, should not the NGOs or the State Government employees be given an opportunity? Till now the position is that an NGO should resign his post and then contest an election, if he wants. Now even in your Bill that provision is not there. That is what I am pointing out. So these are important questions connected Centre-State political structure and relations and how we will work the multi-party system in our country. So I would appeal to the Government to consider it and refer the specific question, if necessary, to the Sarkaria Commission and take a final decision for the abolition of the Council. Or if you think retention is necessary then come out with your proposal and justification so that the House and the country may know about it. For the time being, I am not sure whether the Government is going to accept the Bill moved by my friend, Mr. Dhabe, but I leave it at that. I am neither enamoured of this Bill nor am I opposed to this Bill.

^{िहि} श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश्) : उपसभाष्यक्ष महोदय, यह साधारण-सा विधेयक धाबे जी ने पेश किया है। उन्होंने वि कौंसिल मे मजदरों नमायन्दगी होनी चाहिए । श्री हवमदेव नारायण यादव जी ने इसको काफ व्यापक वना दिया । ग्रभी जो माननीय सदस्य मुझे से पूर्व बोल रहे थे, उन्होंने तो कौंसिल रहे या न रहे, इस सवाल की भी इसके साथ जोड़ दिया है। इसलिए मेरे मन में भी कुछ कहने की इच्छा प्रकट हई. वरना मेरी इच्छा बोलने की नहीं थी।

जनतंत्र में जनता के नुमायन्दगी ज्यादा से ज्यादा हो ग्रीर ज्यादा स्थानों पर हो, यह मेरी बहुत मजबूत राय रही है। मैं

[श्रांराम चन्द्र विकल]

हमेशा कौसिल के रखे जाने के हक में रहा हं। उसके लिए तर्क भी जानता हू। मैं चाहता ह कि कौंसिल होनी चाहिए। हम एक तरफ तो मजदूरों का नुमायन्द ी की बात करते हैं लेकिन दूपरी तरफ यह नर्क करते हैं कि कौसिल रहे । न रहे। अगर कौसिल ही नहीं रहेगी तो मजदूरों कः नुमान्द्रग कः कहांहीगी। इत्रकारिकी वित्य मेरे पुर्व वक्ता भहोदय कह रहे थे। मैं नमझता ह कि यह तो धाबे जी के बिल की भावनाश्ची के खिलाफ है। एक तरफ वे मजदूरों की नुमायन्दगी की सिकारिश करते है, लेकिन दुसरी तरफ कोसित्र की समाप्त करने की बात करने हैं। स्रगर कौसिल समाप्त हो जाएगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा । ऐसी दोहरी नीति थे बोलते रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा मे रहा है। जब कभी भी ऐसेम्बली के सदस्यों या कौसिल के सदस्यों के भत्तों की बात होती थी या उनके टी०ए०, डी०ए० की बात होती थी ता मैं हमेशा उसकी हिमायत करना था। लेकिन हमारे विरोधो दल के साथी उसका विरोध करते थे। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेनाचाहतः हं कि जो इस प्रकार कः बात करते थ, जेकिन मुविबाएं मिल जातो थीं तो वे लाग सबसे पहले सुविधाएं लिया करते थे। कई बार तो हम लोगों का उनकी तरफ से फतवे भौ मिल*। का*रते था। मै चाहता हूं कि इस चग्ह की दोहरी नीति इस भदन के प्राननीय सदस्यों को नहीं भ्रपनानो चाहिए। मन में कुछ चाहे, दिल से कुछ चाहे, लेकिन जबान पर कुछ बोलें, यह गांभनीय बात नहीं है। कूछ · माननीय सदस्य चाहते है कि विधान परिषद् होनी चाहिए और कुछ चाहते है .कि विधान परिपद् नहीं होती चाहिए । लेकिन हमें दोहरे मापदण्ड नहीं श्रपनाने चाहिए। मैं सारे राज्यों में कौंसिल का हिमायतो हूं। हम आज देख रहे हैं कि श्रिधकारियों की सेना कितनी तेजी से दफ्तरों में बढ़ रही है। प्रत्येक स्थान पर वे बढ़ रहे है। उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती जा रही है। हम कभी उस पर सोचने भी नहीं हैं।

मैं स्रनेक दफ्तरों को जानता हू। स्रभी इस वर्ष मुझे ग्राई०टी०स्रो० के शास एक दफ्तर है, जो मकानों के कर्जे का सर्टिफिकेट देता है, वहां जाने का अवसर श्राप्त हुन्ना । मैं वहा 10 बजे पहुंच गया । 11.30 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं श्राया। मुझे कभी इस दफ्तर में भेज दें कभी उस दफ्तर में भेज दें। मैं भोला वनकर देखता रहा उनकी हरकतों को । कभी कहते इधर जाग्रो कभी कहते उधर जाग्रो। जिधर वे कहते मैं उधर ही जाता। ढेढ़ घंटे तक मैने यह तमाशा देखा। 11.30 बजे वे दक्तरों में स्नाना शुरू हुए ग्रौर मुझे एक जगह बिठा दिया ग्रौर सव श्राकर उनमें लड़कियां भी थी सब बातें करने लगे। कोई फाइल ही नहीं देख रहा था। जब उन्हं मालम हम्रा कि मैं मेम्बर ग्राफ पार्लियायट हूँ तो वे मेरे पास ब्रानः शरू हो गये ब्रोर कहने लगे कि हमारे यहां इतने कर्मचारी बढ़ावाइए, हमारा काम बहत बढ़ गया है। मैं उनकी बात मृतता रहा ग्रौर कहा कि हा ठीक है ग्राप ग्रपनी मांगरखो। सब ग्राकर गेरे पास जमा हो गय कि हमको इतने अधि-कारी ग्रौर इतने कर्मचारी ग्रौर चाहिए। उनकी बात सनने के बाद मैंने उनसे कहा कि भई मैं यहा 10 तब ग्रागया या लेकिन 11 30 वजे तक दफ्तर में कोई हाजिर नहीं या ग्रीर प्रव ग्राकर सारे लोग खाली बंडे हो । तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मेरा बंग चल तो मै तुम्हारी संख्या अम कर द्। एक तरफ तो सरकारी श्राफिसरों का भन्ता, डी०ए०, टी०ए० इतना बढ़ गया है और दूसरी तरफ हमारे लिये कोसिलों को सनाप्त करने की दाद कर रहे हैं। ग्रगर ग्राप डेमोकेसी मे भरोसा रखते हैं तो कानन क्रौर संविधान में जनता के नुमाइन्दों के बारे में जो रखा गया है वह तो होना ही चाहिए। यह मेरी मजब्त राष्ट्र है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है टाइप 8 वंगले जो होते हैं दे सेऋदरी ग्र'र डि^{प्}टी सेत्रेटरी को ग्रलाट कर सकते हैं लेकिन भेम्बर ग्राफ पालियामेंट को नही दं सकते हैं। ग्रधिकारियो के ग्रधिकार वढ़ रहे हैं लेकिन सेम्बर स्नाफ धार्लियामेट्स को कर्इ **अधिकार नहीं है। अधिकारियों की तन**ख्व⊺हें उनके ग्रधिकार सब बढे है। मैंने सरकार का प्रेटोकल देखा उसमें मेम्बर आफ पार्लियामेट का नम्बर 24वां है श्रौर डिप्टी सेकेटरी 23

पर ग्राता है। सैम्बर ग्राफ पालिया-मेन्ट को वह मजान नहीं दे सकते जो इनको मिलता है क्योंकि यह मकान उन्हीं को मिल सकता है जिनको 3 हजार रुप में वेतन मिलता है। लेकिन फिर तो मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए उसको भी 2250 रुपये मिलते है। तब फिर मिनिस्टर को क्यों देते हों ? यहां पर ग्रापने ग्रनेक ऐसी बातें कर रखी हैं डैमोकेसी पर विश्वास करने . वालों को ठेस पहंचती है। सरकारी ऋधि-कारी ग्रौर कर्मचारी ग्रपने ग्रधिकारों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं पर काम के नाम पर कुछ नहीं करते। एक दफतर का उदाहरण मैने ग्रभी ग्रापको दिया है। वे देर से स्रायेंगे फिर चाय पीयेंगे। कभी श्रंग्रेजों के राज में दफतरों मे चाय होती थी ? ग्रव रिटायरिग हम भी बनने लगे हैं। अंग्रेजों के राज में क्या ऐसी व्यवस्था थी? लंच, चाय, रिटायरिंग रूम . . .

एक माननीय सदस्य : काफी ब्रेक ।

श्री रामचन्द्र विकल : जिस चीज मे राजनीतिक लोगों की तादाद बढ़ने लगे, थोडा ज्यादा होने लगी तो उसको भी खत्म किया जाया, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री शंकर प्रसाद मिला : बिल यारे में वतलाइये।

श्री रामचन्द्र विकल : इन्होंने जरा व्यापक कर दिया, इसलिए इस पर मैंने भी थोडा सा कहा है। ग्रभी माननीय सदस्य ने कौंसिल को खत्म करने की बात कही तो उसके लिये मैं तर्क दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि लेवर के नुमाइन्दे होने चाहिए। मैं भी इस बात के हिमायत करता हं। इस विधेयक में इन्होंने रखा है कि लेवर के नमाइन्दे हों लेकिन ग्रगर कोंसिल न हो, मैं कौंसिल का बहत हिमायता हूं, अगर कौंसिल नहीं होगी तो लेवर के नुमाइन्दे कहां होंगे ? मैं भ्रापसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक मे जो यह है कि लेवर के नुमाइन्दे होने चाहिए तो इसके लिये कौंसिल रहनी चाहिए। ग्रगर ग्रांध प्रदेश से प्रपोजल आया है तो मैं सरकार से कहंगा माननीय भरद्वाज जी से कहंगा कि इसकी स्वीकार न करें।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी: यह नहीं रहनी चाहिए।...(ध्यवधान)...

श्री रामचन्द्र विकल: यह चाहिए और यह बहुत से राज्यों में है। . . . (देशदेशको) . . .

जहां कौसिल हैं उनका क्या करेंगे ? कुछ राज्यों में कौंसिल है श्रौर ैं बाहता हूं कि इसको सब राज्यों में होना चाहिए। यह मेरी राय है कि वहा पर मजदूरों भ्रौर किसानों के नुमाइन्दे होने चाहिए तभी मैं समझता हूं जि डेमाऋसी का सफल प्रयोग हमारे देश में होगा। अगर कोई तकलीफ समझता है छोटी माटी बातों को बोलने में तो यह नही होना चाहिए, हम चाहे इस हाउस के मेम्बर हैं लेकिन सही बात वोलने की ग्रादत हमें होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं धाबे साहब के विल का रामर्थन करता हूं ।

सत्यप्रवाश मार बंघ (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री धावे जी ने जो विशेषक प्रस्तुत किया है यह विधेयक है तो बहुत छोटा लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह भावना और इम्लिए बड़ी है वहत विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुन्ना हं। गवर्नमेंट त्राफ इण्डिया एक्ट 1935 के भ्रन्तगत सब से पहले इस देश में जो प्रदेश है वहा के लिए विधान परि-षदों को बनाने के लिए प्रावधान किया गया लेकिन जब हमारा संविधान 1949-50 में बना तो उस समय जिस शोर अभी माननीय विकल जंभी इशारा कर रहे थे यह ग्रधिकार राज्यों को दिया गया कि ग्रगर वे चाहे तो विधान परिषद रखें ग्रीर ग्रगर चाहें उनके यहां जो विधान परियय बन चुकी है उस विधान परिषद को रामाप्त कर सकते हैं। इस द्प्टि से हमारे देश में **ग्रा**ज ग्रान्घ्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर यह सात प्रदेश हैं जहां

र्थि। सरप्रकाश कालवीर: पर विधान परिषद है। इसके पहले मान्यवर, पंजाब ग्रौर पश्चिम बंगाल विधान परिषदें थीं लेकिन वहा की विधान सभाग्रों के प्रस्तावों के ग्रन्^{रू}प उनको कर दिया गया। जिस प्रकार का प्रस्ताव ग्रभी ग्रान्ध्र प्रदेश की विधान में पारित किया गया ग्रीर जिसके सन्बन्ध में माननीय विधि मन्त्री महोदय ने ग्राज म्रपनी सरकार का रुख भी स्पष्ट किया। इसके ग्रतिरिक्त मान्यवर, माननीय धावे जी ने जो विधेयक प्रस्तृत किया है उसमें जहां एक ग्रोर अमिकों को, प्र<mark>बन्धकों</mark> के प्रतिनिधियों की बात की है वहां दुसरी श्रोर जो राज्यपाल को नामांकन करने का अधिकार है उसमे धावे जी ने सुझाव दिया है कि पत्नकारिता क्षेत्र के लोग सहकारिता क्षेत्र के लोग, देल-कृद के प्रतिनिधि, प्रोद्योगिकी के लोगों का नामांकन राज्यपाल यदि चाहें तो कर सकते हैं। मान्यवर, हमार संविधान में जो व्यवस्था है विधान परिपदों की गठन की उनकी चर्चा अनुच्छेद 171 में की गई है। ग्रन•छेद 1:1 में इस वात का प्राव-धान है कि किसी भी विधान परिषद की जो कुल संख्या है उसका एक वटा तीन जो हमारी स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं लोकल वाडीज हैं उनके प्रतिनिधि चन कर के आएंगे। इसी प्रकार से पुरी विधान परिषद का एक वटा बारह सदस्य स्नानक तथा 1/12 ब्राध्यापक क्षेत्र से चन कर के आएंगे और एक बटा तीन भाग विधान सभा के सदस्य चन कर के अपने प्रतिनधि विधान परिषद में भेजेंगे। नेकिन जैसे कि भाननीय कल्पनाथ राय जी कह रहे थे उन्होंने यहां पर चर्चा की ग्रौर जिस प्रकार का प्रावधान है कि एक वटा तीन सदस्य लोकल अथारीज के प्रतिनिधि होंगे। श्रोर प्रदेशों की जानकारी तो भुक्ते नहीं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर कि विधान परिषद है वहां पर पिछले चार-पांच वर्ष से एक वटा तीन जो स्थानीय निकाय संस्थायां के प्रतिनिधि हैं उनका कोई चनाव ही नहीं हुया है श्रौर इस प्रकार से विधान परिषद की वहां की जो पुरी सख्या है 221 के करीब उन के एक बटा तीन आज भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नहीं है। । सका कारण यह है कि उत्तर

ध्देश मे स्राप को जानकर स्नास्टर्य होगा कि पुरु ऐसी त्रोकल बाडीज हैं नगरपालिका है जमे गुरादाबाट की जहां पर 55 से कि के क्राफ तक चुनाव नहीं हम्रा ग्रायोगढ़ का म्यनिस्टिल बोड रा युक्तात्र 1960 को कार में लें के याज नेश नहीं हुआ ह और 1977 से ले कर के वहां की जो परिषदें थी नगरपालिका, नगरमहा-पालिका या नोटिफाइड एरिया कृष्ठ उदाहरण है यहां कोई भी संस्था गठित नहीं है क्योंकि यह पांच वर्ष के लिए चनी गई थी और उनका कार्यकाल ग्रधिक हो चका था इसलिए उनको भंग कर दिया गया। 1977 के बाद से ले कर स्राज 85 स्रा गया है चनाव नहीं हम्रा है। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय विधि मंत्री जी निश्चित रूप से इस ग्रोर ध्यान देंगे कि कम से कम जो संविधान निर्मातात्रों की इच्छा थी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में ग्राज एक बटा चार सदस्य के स्थान ऐसे हैं जो कि रिक्त पडे हुए है :

माननीय कल्याणसुन्दरम जी ने इस बात की चर्चा की ग्रीर उस ग्रीर मैं भ्रापका ध्यान स्राकपित करना चाहंगा कि धारा 171 में जहां पर इस बात का प्रावधान है कि राज्यपाल नामीनेट करेंगे और उसमें इस बात की चर्चा की गयी है कि जो लोग साहित्य के क्षेत्र मे होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में होंगे, कला क्षेत्र में होंगे, सहकारिता ग्रान्दोलन के क्षेत्र में होंगे ग्रथवा समाजसेवी होंगे, इन्हीं क्षेत्र के लोगों का नामांकन विधान परिषद में राज्यपाल के माध्यम से किया जायेगा । लेकन कल्याणसुन्दरम ने सभी चर्चा की स्रौर राजा जी का दृष्टांत उपस्थित किया। वह तो केवल पहला ही दृष्टांत था, लेकिन तब से लेकर ग्राज तक 12 ऐसे उदग्हरण हो चुके हैं जहां पर कि विधान सभा के चुनाव में लोग हार गये, लेकिन पिछले दरवाजे से राज्यपाल के जरिये से उनको नामांकित करवा कर विभिन्न सूवों का मुख्य मंत्री बनाया गया, चाहे वह सुवा उत्तर प्रदेश का रहा हो या बम्बई का रहा है। तो मान्यवर, इस सिलसिले में मेरा निवेद_त यह है कि इस भ्रोर घ्यान जाना चाहिय

·श्रौर राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति लिये इस प्रकार का नामांकन किया जाना चाहिये।

एक और बात की स्रोर ध्यान स्राक्षित करना चाहुंगा कि सन् 1970 में बिहार की विधान सभा थी, उसने भी प्रस्ताव पारित कर दिया था कि की विधान परिषद को समाप्त दो। यह प्रस्ताव अप्रैल में पारित किया था, लेकिन दिसम्बर 70 में एक दूसरा प्रस्ताव वहां की विधान सभा ने किया कि उनके पहले प्रस्ताव को या मई 1974 तक लाग नहीं जाये । ठीक उसी तरह, शायद विकल जी उस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा में थे---सन् 1970 की उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक प्रस्ताव किया था कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाये। यह ग्रच्छा हुग्रा कि उसके वाद उस प्रस्ताव को केन्द्र की सरकार के पास भ्राज नहीं भेजा गया श्रौर विधान परिषद ब्राज भी चल रही है। मैं इस बात की चर्चा इस लिए कर रहा सरकार को इस ग्रोर ध्यान देना कि जिन सुबों, राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर भी विधान परिषदों को स्थापित करने का कदम उठाया जाना चाहिदे ग्रौर जैसा कि मैंने में निवेदन किया कि ग्रगर जरूरत हो तो इस संबंध में संविधान में संशोधन करना चाहिये श्रौर संशोधन करके इस बात को म्रावश्यक या मैन्डे री कर दिया जाये कि जितने भी राज्य है वहां पर निश्चित रूप से विधान परिषद होगी ।

माननीय धाबे जी ने जो यंशोधन प्रस्तुत किया है उसमें धारा 171 में जहां पर राज्यपाल को शिकार है वहां माननीय धावे जी र इस बात का सझाव दिया है कि जहां पर एक ग्रौर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज रेवा क्षेत्र भे लोगों का नामांकन करेंगे राज्यपाल **वहीं पर** जलकारिता. शारीरिक शिक्षा.

खेलकृद, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लोगों का नामांकेन भी किया जाये। यह करके माननीय धाबे जी ने ऐसे लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया है जो वास्तव में समाज के ऐसे भ्रंग हैं जो राष्ट्र की सेवा करते है भीर समाज की महत्वपूर्ण सेवा करते हैं।

[उपमभायति महोदधा पीठासीत हुई]

इन्हीं शब्दों के साथ ने माननीय धाबे जी के विधेयक का समर्थन करता हूं ग्रौर पुरी त्राशा करता हूं कि माननीय कानृन मंत्री जी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि-वेता है वे इस सदन की भावनाश्रों का म्रादर करते हए माननीय धाबेजी के विधेयक को स्वीकार वरने की वृपा करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satyanarayan Reddy.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Madam Deputy Chairman, first of all, I would like to congratulate the Law Minister for the statement regarding the abolition of the Andhra Pradesh Legislative Council, because this is a long pending issue. As a matter of fact, the Andhra Pradesh Assembly passed a Resolution in 1983 requesting the Union Government for the abolition of the Council. At that time, though we pleaded with the Government, yet they could not take any steps in this direction. Again, the Legislative Assembly of Andhra Pradesh on the 30th of last month passed the same Resolution for the abolition of the Legislative Council. As a matter of fact, in 1983 I brought rembers Resolution in this

he abolition of the Couny, the Government has non and od to bring the legislation in this session for the abolition of the Legislative Council of Andhra Pradesh. I am very happy so far as this is concerned.

Coming to the Resolution introduced by Mr. Dhabe, I would like to tell this House and the country that from the beginning we are not in favour of the Councils. As a matter of fact

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

the Constitution was framed and those who believe in socialism and social structure of the country have always that it requires fundamental said changes because after the Constitution has been framed, we have got so many amendments. So, I would like that the Government must think about it and instead of bringing so many amendments in the Constitution, they must convert the present Parliament into a Constituent Assembly and redraft the Constitution. It requires the abolition of the Legislative Councils where they are existing. At present there are no Legislative Councils in 17 States. There are Legislative Councils only in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. In the remaining States, there are no Legislative Councils. My friend from other side was pleading that the resolution passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly should not be given effect to. I would like to point out that under clause (1) of Article 169 of the Constitution, "the Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two. thirds of the members of the Assembly and voting." present The Andhra Pradesh Legislative Assembly has passed a resolution unanimously for recommending the abolition of the Legislative Council. This is the constitutional provision. So, their request to the Central Government not accept the Resolution passed by the State Assembly has no meaning. The constitutional provision has to accepted and the Government of India is doing it. I am very happy about States were abolished. These are the facts. I would like to say in this

connection, taking advantage of this opportunity, that the Constitution requires redrafting.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): May I intervene? We are introducting the Legislative Council Abolition Bill. I think we should discuss this issue there. This bill is on a different issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please refer to Mr. Dhabe's motion. His motion is about those Councils which are existing. You are speaking on something else.

SHRI B. SATYANARAYAN DY: I have congratulated the Government for acceding to our request. What I want to tell this House the Government is that the Constitution requirés some amendments. have made so many amendments to the Constitution. I am suggesting to the Government to convert this Parliament into a Constituent Assembly. There are questions like the right to recall lowering the age from 21 years to 18 years, electoral reforms. reforms etc. There are so many things and we went to change the society. We want drastic changes in order to improve the condition of the people. Our friend has spoken about socialism. How can you bring socialism without bringing fundamental changes in the Constitution itself? It requires courages. It requires viction. It requires a decision to do something. Only saying that you stand for socialism, for the removal of poverty and for the welfare of the society won't help. What I mean to say is that in order to do what you want to do, I think that there must be changes in the present Constitution. Secondly, why did the AP State take this decision? In this connection, I want to tell one thing. Their decision to abolish the Legislative Council was taken in order to avoid excessive expenditure and to achieve economy. Nearly Rs. 36,70,000 have

been earmarked for the AP Legislative Council, the Legislative Department and the General Administration Department in the Budget proposals for the year 1984-85. Thisamount could be saved and utilised for the welfare measures and the development of the State. If the State Legislative Council is abolished, amount can be saved. Not only that. So many obstacles are created. Mr. Kalyanasundaram has stated that a new Government has come in Andhra Pradesh after the elections; they wanted to take many measures for the welfare of the people but the Council tried to create obstacles, and that such things never happened in any other State. So (Interruptions)

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: What is your view on the Bill?

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY: I am coming to that. So far as this....

THE DEPUTY CHAIRMAN. By the time you come to the Bill, the time will be over.

SHRI H. L. KAPUR (Nominated): The Law Minister has already stated that what my hon. friend is saying will be considered when the Bill comes up. I think, instead of wasting the time of the House, the hon. Member could talk on the Bill under consideration rather than talk about the MLCs

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY: Madam Deputy Chairman, predecessors have spoken something about Andhra Pradesh. They have commented upon the Resolution passed by the AP Assembly. So, I had to refer to it. As a matter of fact, I have already congratulated the Law Minister for this. So far as Mr. Dhabe's present Bill is concerned, in the first instance, we are not for Councils; we are opposed to the Council concept. We want to bring com-

plete changes in the Constitution if that is in our hands. So far as Mr. Dhabe's Bill is concerned, where the Councils are existing, he wants presentation to the workers, to the farmers, and to the weaker sections. If they do not want to abolish Council in Maharashtra, it is for them to decide. The Constitution provides for that. We do not want the Council. So, we do not want this. So far as Maharashtra is concerned, have a Council. So, he wants representation there for the workers, Let that be considered by the Government in respect of the Councils that are existing now. But if a State does not want any Council, let it be abolished. There should not be any misunderstanding. (Interruptions). As a matter of fact, I am against the existence of such a Council. So. I want a change in the Constitution itself.

With these remarks, Madam, I would like to congratulate once again the Law Minister for coming out with a statement that they are bringing a legislation in this session for abolishing the Legislative Council of Andra Pradesh.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There $i_{\rm S}$ no time now for a reply.

SHRI S. W. DHABE: It will continue in the next session.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Leader of the House has to make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Reported statement by the Chief Minister of Maharashtra

THE LEADER OF THE HOUSE VISHWANATH (SHRI PRATAP SINGH): Madam., yesterday I tried to contact the Chief Minister of Maharashtra in the morning. He was away. night I could have So, late a telephonic talk with him. And he denied the statement attributed to him the press. And he said that at